मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 26)

[23 अप्रैल, 1994]

**मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन
की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन और
संगठन के लिए तथा उससे संबंधित
और उसके आनुषंगिक विषयों
का उपबंध करने के लिए
अधिनियम**

यह समीचीन है कि जनता की और अधिक सहभागीदारी तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए पंचायतों से संबंधित सांविधानिक उपबंधों के अनुसार मणिपुर में दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने के लिए जिसमें ग्राम और जिला स्तरों पर निर्वाचित निकाय होंगे, व्यापक अधिनियमिति द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का पुनर्गठन किया जाए ।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1994 है ।

(2) इसका विस्तार ऐसे किसी क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण मणिपुर पर है, जिस पर मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 76) या मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र ग्राम प्राधिकारी) अधिनियम, 1956 (1956 का 80) का विस्तार होता है या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नगरपालिका के रूप में घोषित या उसमें सम्मिलित किया गया है या इसके पश्चात् घोषित या उसमें सम्मिलित किया जाए, या जो छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के अधीन छावनी के रूप में घोषित या उसमें सम्मिलित किया गया है या इसके पश्चात् घोषित या उसमें सम्मिलित किया जाए ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से इस अधिनियम की धारा 54 के अधीन निर्वाचित जिला परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "सभापति" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित, यथास्थिति, जिला परिषद् या ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का सभापति अभिप्रेत है ;

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 75 के अधीन नियुक्त किसी जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "आयुक्त" से विकास और पंचायती राज में सरकार का आयुक्त या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ;

(ङ) "जिला" से राजस्व जिला अभिप्रेत है ;

(च) "उपायुक्त" से किसी जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है ;

(छ) "सरकार" से मणिपुर की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "ग्राम सभा" से ग्राम स्तर पर पंचायत-क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है ;

(झ) "ग्राम पंचायत" से इस अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है ;

(ञ) "राजपत्र" से मणिपुर राजपत्र अभिप्रेत है ;

(ट) "पंचायत" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित ग्राम पंचायत और जिला परिषद् अभिप्रेत है ;

(ठ) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ड) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ;

(ढ) “प्रधान” से इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन निर्वाचित किसी ग्राम पंचायत का प्रधान अभिप्रेत है ;

(ण) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(त) “सचिव” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी ग्राम पंचायत का सचिव अभिप्रेत है ;

(थ) “स्थायी समिति” से इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् या किसी ग्राम पंचायत द्वारा गठित कोई स्थायी समिति अभिप्रेत है ;

(द) “उप-प्रधान” से इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन निर्वाचित किसी ग्राम पंचायत का उप-प्रधान अभिप्रेत है ;

(ध) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में, विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है ; और

(न) “जिला परिषद्” से इस अधिनियम की धारा 48 के अधीन गठित किसी जिले की जिला परिषद् अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

ग्राम सभा

3. ग्राम सभा की सदस्यता और निरर्हता—(1) ग्राम सभा में, उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, वे सभी व्यक्ति होंगे, जिनके नाम ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर धारा 15 में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हैं :

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा ।

(2) कोई व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है ; या

(ख) यदि वह विकृतचित का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ग) यदि वह राज्य विधान-मंडल के निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मत देने से तत्समय निरर्हित कर दिया जाता है ।

4. सदस्यता की समाप्ति—(1) ग्राम सभा का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम सभा का सदस्य नहीं रह जाता है वहां उसका किसी ऐसे पद को धारण करना भी समाप्त हो जाएगा जिसके लिए उसके उस ग्राम सभा का सदस्य होने के आधार पर उसे निर्वाचित या नियुक्त किया गया होता ।

5. अधिवेशनों की कालिकता—ग्राम सभा का अधिवेशन समय-समय पर होगा किन्तु किन्हीं दो अवधिवेशनों के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

6. अधिवेशन बुलाना—ग्राम सभा का अधिवेशन उस प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, आयोजित किया जाएगा ।

7. गणपूर्ति—(1) ग्राम सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसकी कुल सदस्यता का दसवां भाग होगी ।

(2) यदि अधिवेशन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो पीठासीन व्यक्ति तीस मिनट तक प्रतीक्षा करेगा और यदि उस अवधि के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन व्यक्ति उस अधिवेशन को आगामी सप्ताह में उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित करेगा । इसी प्रकार, यदि अधिवेशन आरम्भ होने के पश्चात्, किसी समय गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हे तो वह तीस मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अधिवेशन स्थगित करेगा । इस प्रकार नियत किए गए अधिवेशन की सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय में लगाई जाएगी । ऐसे कारबार को, जिस पर गणपूर्ति के अभाव में इस प्रकार मुल्तवी अधिवेशन में विचार नहीं किया जा सका था, इस प्रकार नियत अधिवेशन या किसी पश्चातवर्ती स्थगित ऐसे अधिवेशन के, जिसमें गणपूर्ति हो, समक्ष लाया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा ।

8. ग्राम सभा का अधिवेशन—ग्राम सभा का प्रत्येक अधिवेशन सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता में और उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान की अध्यक्षता में तथा दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के ऐसे सदस्य की अध्यक्षता में होगा जो पंचायत के सदस्यों में से चुना जाएगा ।

9. कार्यसूची—ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची तैयार करेगी । ऐसे विषय निम्नलिखित से संबंधित होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत के लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा-परीक्षा टिप्पण और उसके दिए गए उत्तर, यदि कोई हों ;

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट ; और

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की बाबत रिपोर्ट ।

10. संकल्प—धारा 11 के अधीन ग्राम सभा को सौंपे गए कृत्यों से संबंधित कोई संकल्प, ग्राम सभा के अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा ।

11. ग्राम सभा के कृत्य—ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :—

(क) ग्राम की बाबत विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना ;

(ख) ग्राम की बाबत विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान करना :

परन्तु यदि ग्राम सभा युक्तियुक्त समय के भीतर हिताधिकारियों की पहचान करने में असफल रहती है तो ग्राम पंचायत हिताधिकारियों की पहचान कर सकती है ;

(ग) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम संचारित करना और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों में अभिदाय करना ;

(घ) ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण का संवर्धन करना ;

(ङ) ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सामंजस्य का संवर्धन करना ;

(च) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

12. सतर्कता समिति—ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए तथा इसकी बैठक में इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक सतर्कता समितियां बना सकेगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों ।

अध्याय 3

ग्राम पंचायत

13. ग्राम पंचायत का गठन—(1) प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित ग्राम पंचायत को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और वह इसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से गठित हुई समझी जाएगी ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, ग्राम पंचायत के निर्वाचकों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार होगा यदि वह उपधारा (1) के अधीन इसके प्रकाशन की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर मामूली तौर से निवासी है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, एक ग्राम पंचायत से अधिक किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचकों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि आवेदक किसी अन्य ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है तो उसका नाम सम्मिलित करने वाला अधिकारी, उस अन्य ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली प्रकाशित करने वाले अधिकारी को इसकी सूचना देगा और वह अन्य अधिकारी सूचना प्राप्त करने पर उस सूची से आवेदक का नाम काट देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "मामूली तौर से निवासी" पद का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 में है ।

(4) निर्वाचकों की सूची में सम्मिलित किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को, जो सूची में उसका नाम प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् किसी समय निरर्हित हो जाता है, ऐसी सूची से जिसमें वह सम्मिलित है, तुरन्त काट दिया जाएगा :

परन्तु धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन किसी निरर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काटे गए किसी व्यक्ति के नाम को, सूची में तुरन्त पुन:स्थापित कर दिया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति निरर्हक नहीं रहा है ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी को की जाएगी, जो विहित किया जाए।

14. ग्राम पंचायत का निगमन—प्रत्येक ग्राम पंचायत धारा 13 के अधीन राजपत्र में अधिसूचित नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली निगमित निकाय होगी, जिसे संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगी और उसके विरुद्ध वादा लाया जाएगा।

15. ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के उपबंधों के अधीन तैयार की गई मणिपुर विधान सभा की निर्वाचक नामावली जो ऐसी तारीख को प्रवृत्त है, जिसे राज्य सरकार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो ग्राम सभा में सम्मिलित है, इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सूचित करे, ऐसी ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचकों की सूची होगी।

16. ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली का प्रकाशन—(1) धारा 15 निर्दिष्ट मतदाताओं की सूची उस रीति में और ऐसे प्राधिकार से, जो विहित किया जाए, प्रकाशित की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित निर्वाचकों की सूची में सम्मिलित नहीं है, इसके प्रकाशन से दस दिन के भीतर उसमें अपने नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए उसे प्रकाशित करने वाले अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और संबंधित अधिकारी, यदि ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाए, उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा (3) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है और धारा 15 के अधीन निर्वाचकों की सूची में सम्मिलित किए जाने से निरर्हित नहीं है तो उसका नाम निर्वाचकों की सूची में सम्मिलित किए जाने का निर्देश करेगा।

17. ग्रमा पंचायत की संरचना—ग्राम पंचायत में प्रधान और उतने प्रत्यक्ष रूप से निवार्चित सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं और पंचायत क्षेत्र की प्रत्येक 350 की जनसंख्या या उसके भाग के लिए एक सदस्य ऐसी पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा।

18. ग्राम सभा का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन—(1) उपायुक्त निर्वाचन के संचालन के लिए—

(i) ग्राम सभा क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित करेगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो ;

(ii) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा।

(2) ग्राम पंचायत के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

19. स्थानों का आरक्षण—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान ऐसी ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से आबंटित किए जा सकेंगे जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है), स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान, किसी ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र को चकानुक्रम में ऐसी रीति में आबंटित किए जा सकेंगे जो विहित की जाए।

20. ग्राम पंचायत की अवधि—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं :

परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी।

(2) किसी ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन :—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व ; और

(ख) विघटन की दशा में, विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व,

पूरा किया जाएगा :

परन्तु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित ग्राम पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) किसी ग्राम पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस ग्राम पंचायत के विघटन पर गठित की गई ग्राम पंचायत केवल उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती ।

21. ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन—ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से गुप्त मतदान के अधीन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उस रीति में, जो विहित की जाए, निर्वाचित किए जाएंगे ।

22. ग्राम पंचायत के सदस्यों को निर्वाचित करने में असफल रहने पर और अन्य दशाओं में प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति—(1) (क) यदि उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए ग्राम पंचायत का गठन उक्त ग्राम पंचायत की स्थापना के तुरन्त पश्चात् निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जा सकता है :—

(i) ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कराने में कोई कठिनाई ; या

(ii) धारा 17 के अधीन हुए दो आनुक्रमिक निर्वाचनों में उक्त सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल होना ; या

(iii) कोई अन्य पर्याप्त कारण, चाहे जो भी हो ।

(ख) यदि किसी ग्राम पंचायत के किसी साधारण निर्वाचन पर कोई सदस्य निर्वाचित नहीं होता है या कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं,

तो उपायुक्त अधिसूचना द्वारा या तो,—

(i) एक प्रशासनिक समिति नियुक्त करेगा, जो निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिसमें उक्त व्यक्तियों की संख्या धारा 17 के अधीन अवधारित सदस्यों की संख्या के बराबर होगी ; या

(ii) कोई प्रशासक नियुक्त करेगा ।

(2) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक ऐसी अवध के लिए जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, पद धारण करेगा, जो उपायुक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रशासनिक समिति या किसी प्रशासक की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चयन किए गए व्यक्ति, यदि कोई हों, ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे और ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक द्वारा किया जाएगा ।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रशासनिक समिति या प्रशासक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित ग्राम पंचायत समझे जाएंगे :

परन्तु यदि उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् किसी समय उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि सदस्यों के निर्वाचन द्वारा ग्राम पंचायत का सम्यक् रूप से गठन करने में कोई कठिनाई नहीं है तो उपायुक्त, इस बात के होते हुए भी कि उस पद की वह अवधि समाप्त नहीं हुई है जिसके लिए प्रशासनिक समिति के सदस्यों या प्रशासक की नियुक्ति की गई थी, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक, ऐसी तारीख से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण नहीं करेंगे ।

23. प्रधान और सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना—(1) किसी ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के पद में मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने के कारण या अन्यथा होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, रिक्ति को विहित रीति में निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा ।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित प्रत्येक प्रधान और प्रत्येक सदस्य उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार निर्वाचित हुआ है, पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यदि रिक्ति छह मास से कम की अवधि के लिए है, तो आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं होगा ।

24. उप-प्रधान का निर्वाचन—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, यथाशक्यशीघ्र, इसके एक सदस्य को उप-प्रधान निर्वाचित करेगी ।

(2) उप-प्रधान के पद में मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने के कारण या अन्यथा होने वाली किसी रिक्ति की दशा में ग्राम पंचायत, किसी दूसरे सदस्य को उप-प्रधान निर्वाचित करेगी :

परन्तु यदि रिक्ति छह मास के कम अवधि के लिए है, तो कोई निर्वाचन नहीं होगा ।

25. प्रधान और उप-प्रधान के लिए स्थानों का आरक्षण—उपायुक्त सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, —

(i) जिले में ग्राम पंचायत के प्रधान और उप-प्रधान के पदों की ऐसी संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखेगा और इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात उस जिले में पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस जिले में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस जिले की कुल जनसंख्या से है ;

(ii) जिले में ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन आरक्षित पद भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जाएंगे, जो विहित की जाए ।

26. ग्राम पंचायत स्थापित होने पर उप-प्रधान के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया—इस अधिनियम के अधीन पहली बार, ग्राम पंचायत की स्थापना होने पर या धारा 20 के अधीन पुनर्गठन या स्थापना पर, विहित अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का अधिवेशन तुरन्त बुलाया जाएगा, जो स्वयं अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, परन्तु उसे मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा और उक्त अधिवेशन में उप-प्रधान निर्वाचित किया जाएगा ।

27. प्रधान और उप-प्रधान की पदावधि—(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रधान और उप-प्रधान की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम पंचायत की अवधि की समाप्ति पर, समाप्त हो जाएगी ।

(2) प्रधान और उप-प्रधान ऐसे मानदेय और भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य ऐसे मानदेय और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं ।

28. प्रधान और उप-प्रधान की शक्तियां कृत्य और कर्तव्य—(1) प्रधान,—

(क) ग्राम सभा का अधिवेशन बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) ग्राम पंचायत का अधिवेशन बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ;

(ग) ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए साधारण रूप से उत्तरदायी होगा ;

(ङ) ग्राम पंचायत के कर्मचारिवृन्द और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के, जिनकी सेवाएं किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकाराधीन रखी गई हों, कार्य पर प्रशासनिक अधीक्षण और नियंत्रण करेगा ;

(च) इस अधिनियम से संबंधित कारबार के संव्यवहार के लिए या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई आदेश करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा, प्रयोग, पालन या निर्वहन किए जाते हों :

परन्तु प्रधान ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किसी अधिवेशन में ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाना, पालन या निर्वहन किया जाना अपेक्षित हो ;

(छ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो ग्राम पंचायत, साधारण या विशेष संकल्प द्वारा निदेश दे या सरकार इस बाबत बनाए गए नियमों द्वारा विहित करे ।

(2) उप-प्रधान,—

(क) प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो प्रधान, इस निमित्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे :

परन्तु प्रधान उप-प्रधान को इस प्रकार प्रत्यायोजित सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को किसी भी समय वापस ले सकेगा ;

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति के दौरान, प्रधान की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कृत्यों का पालन और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो ग्राम पंचायत साधारण या विशेष संकल्प द्वारा, निदेश दे या जो सरकार इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा विहित करे ।

29. प्रधान और उप-प्रधान का त्यागपत्र—(1) यथास्थिति, प्रधान और उप-प्रधान, विहित प्राधिकारी को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र, विहित प्राधिकारी द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर प्रभावी होगा, जब तक कि वह पन्द्रह दिन की इस अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा त्यागपत्र वापस नहीं ले लेता ।

(3) प्रत्येक उप-प्रधान, ग्राम पंचायत का सदस्य न रहने पर, पद को रिक्त करेगा ।

30. प्रधान और उप-प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव—(1) प्रत्येक प्रधान और उप-प्रधान द्वारा, यदि उसमें विश्वास की कमी अभिव्यक्त करने वाला कोई संकल्प, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में ग्राम पंचायत के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तुरन्त पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा । उक्त विशेष अधिवेशन के संबंध में अध्यपेक्षा, ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और विहित प्राधिकारी को परिदत्त की जाएगी । विहित प्राधिकारी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर ग्राम पंचायत का विशेष अधिवेशन बुलाएगा । अधिवेशन का आयोजन अधिवेशन की सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् किसी दिन किया जाएगा । अधिवेशन की अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी । किसी ग्राम पंचायत के प्रधान या उप-प्रधान के रूप में उनकी अवधि के प्रारंभिक दो वर्षों में, उनके विरुद्ध ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा । यदि अविश्वास का प्रस्ताव, एक बार अस्वीकार कर दिया जाता है तो अविश्वास का कोई नया प्रस्ताव, प्रस्ताव के इस प्रकार अस्वीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत के समक्ष नहीं लाया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई प्रधान और उप-प्रधान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार या अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा या असमर्थता के लिए या उसके निर्वहन में लगातार असावधान रहने या किसी निकृष्ट आचरण का दोषी होने पर सरकार द्वारा पर से हटाया जा सकेगा :

परन्तु किसी ऐसे प्रधान या उप-प्रधान को पद से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया प्रधान या उप-प्रधान शेष पदावधि के दौरान प्रधान या उप-प्रधान के रूप में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन उसके पद से हटाया गया प्रधान या उप-प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा ।

31. सदस्यों का त्यागपत्र—ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ग्राम पंचायत के प्रधान को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपनी सदस्यता का त्याग कर सकेगा और उसका स्थान उक्त त्यागपत्र की तारीख से पन्द्रह स्पष्ट दिन की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगा, जब तक कि पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर वह, प्रधान को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, उक्त त्यागपत्र को वापस नहीं ले लेता है ।

32. ग्राम पंचायत का अधिवेशन—(1) ग्राम पंचायत का, कारबार के संव्यवहार के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालय में दो मास में कम से कम एक बार और ऐसे समय पर जो प्रधान अवधारित करे, अधिवेशन होगा ।

(2) प्रधान, जब कभी वह उपयुक्त समझे और सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर किसी दिन, विशेष अधिवेशन बुलाएगा ।

(3) सचिव द्वारा किसी साधारण अधिवेशन के संबंध में सात स्पष्ट दिनों की सूचना और विशेष अधिवेशन के लिए तीन स्पष्ट दिनों की सूचना जिसमें ऐसे अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय और उसमें संव्यवहार किए जाने वाले कारबार विनिर्दिष्ट होंगे, सदस्यों और ऐसे अधिकारियों को दी जाएगी, जिन्हें सरकार विहित करे तथा वह ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकाई जाएगी ।

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें उपधारा (3) के अधीन सूचना दी जाती है और ग्राम पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखने वाले अन्य सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित होने और कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार होंगे परन्तु मत देने के हकदार नहीं होंगे ।

(5) यदि प्रधान उपधारा (2) में यथा उपबंधित विशेष अधिवेशन बुलाने में असफल रहता है, तो उप-प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य उसके पश्चात् पन्द्रह दिन से अनधिक में एक दिन के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकेंगे और सचिव से सदस्यों को सूचना देने और अधिवेशन बुलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा करेंगे ।

33. कार्यवृत्त—(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों, यदि कोई हों, के नामों के संबंध में और कार्यवाहियों के संबंध में और उस अधिवेशन में किसी उपस्थित सदस्य की इच्छा पर किसी संकल्प के क्रमश: पक्ष में या विरोध में मतदान करने वाले सदस्य के नामों के संबंध में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई पुस्तक में कार्यवृत्त रखा जाएगा और उन्हें सुनाए जाने और उस पर सहमति के पश्चात् उस पर प्रधान और उप-प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में ऐसी सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और वह ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर खुला रहेगा । कोई भी व्यक्ति अधिवेशन के कार्यवृत्त की प्रति का निरीक्षण कर सकेगा । कार्यवृत्त पुस्तक, सदैव ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और वह ग्राम पंचायत के सचिव की अभिरक्षा में रहेगी ।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए प्रत्येक संकल्प की एक प्रति अधिवेशन की तारीख से दस दिन के भीतर, सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

34. गणपूर्ति और प्रक्रिया—(1) ग्राम पंचायत के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। यदि अधिवेशन के लिए नियत समय पर, गणपूर्ति नहीं है, तो पीठासीन प्राधिकारी तीस मिनट तक प्रतीक्षा करेगा और यदि उस अवधि के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन प्राधिकारी, अधिवेशन को अगले दिन या भविष्य में ऐसे किसी दिन, ऐसे समय के लिए स्थगित करेगा जो वह नियत करे। यदि किसी अधिवेशन के आरम्भ होने के पश्चात् गणपूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो वह, इसी प्रकार तीस मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अधिवेशन को स्थगित करेगा। इस प्रकार नियत किए गए अधिवेशन के संबंध में सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय में चिपकाई जाएगी। इस प्रकार मुल्तवी किए गए अधिवेशन में, ऐसे कारबार को, जिस पर गणूपर्ति के अभाव में विचार नहीं किया जा सका था, प्रस्तुत किया जाएगा और उसे इस प्रकार नियत अधिवेशन में या किसी अन्य स्थगित पश्चात्वर्ती अधिवेशन में, जिसमें गणपूर्ति हो, निपटाया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ग्राम पंचायत के प्रत्येक अधिवेशन में प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान पीठासीन होगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर पीठसीन होने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) सभी प्रश्नों का विनिश्चय जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान या पीठासीन व्यक्ति जब तक कि वह मत देने से विरत नहीं रहता है अपना मत किसी प्रश्न के पक्ष में या विपक्ष में मतों की संख्या की घोषणा करने से पूर्व देगा और मतों के बराबर रहने की दशा में वह अपना निर्णायक मत देगा।

(4) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ग्राम पंचायत के अधिवेशन में विचार के लिए आने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर मत नहीं देगा या उस पर चर्चा में भाग नहीं लेगा यदि वह ऐसा प्रश्न है जिसमें जनता को उसके साधारण उपयोजन के अतिरिक्त उसका कोई धनीय हित है और यदि पीठासीन व्यक्ति का ऐसा हित है तो वह उस अधिवेशन में पीठासीन नहीं होगा जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आता है।

(5) यदि अधिवेशन में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पीठासीन व्यक्ति के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उस विषय में जिस पर विचार किया जा रहा है, उसका धनीय हित है और यदि उस आशय का प्रस्ताव लाया जाता है तो वह ऐसे विचार विमर्श के दौरान पीठासीन नहीं होगा या उस पर मत नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ऐसा विचार विमर्श जारी रहने के दौरान अधिवेशन में पीठासीन होने के लिए चुना जा सकता है।

35. ग्राम पंचायत के कृत्य—ऐसी शर्तों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत नीचे विनिर्दिष्ट कृत्य करेगी,—

(1) साधारण कृत्य :

(क) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना ;

(ख) वार्षिक बजट तैयार करना ;

(ग) प्राकृतिक विपत्तियों में राहत जुटाने की शक्ति ;

(घ) लोक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाना ;

(ङ) स्वैच्छिक श्रम और सामुदायिक कार्य के लिए अभिदाय की व्यवस्था करना ; और

(च) ग्राम (ग्रामों) के अत्यावश्यक आंकड़े रखना।

(2) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है :

(क) कृषि और उद्यान–कृषि की अभिवृद्धि और विकास ;

(ख) बंजर भूमि का विकास ;

(ग) चरागाहों का विकास और अनुरक्षण तथा उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रामण का निवारण करना ;

(घ) भूमि विकास और मृदा भूमि संरक्षण अध्युपायों को अग्रसर करना ;

(ङ) भूमि सुधार और चकबन्दी के कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों को अग्रसर करना।

(3) पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट पालन ;

(क) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार ;

(ख) डेरी फार्म उद्योग, कुक्कुट पालन और सूअर पालन का संवर्धन ; और

(ग) घास स्थली का विकास ।

(4) मत्स्य उद्योग ;

ग्राम (ग्रामों) में मत्स्य उद्योग का विकास ।

(5) समाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन और चारा :

(क) सड़कों के किनारों और इसके नियंत्रण के अधीन अन्य सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षों का रोपण और उनका परिक्षण ;

(ख) ईंधन, पौध रोपण और चारा विकास ;

(ग) फार्म वानिकी का संवर्धन ; और

(घ) सामाजिक वानिकी का विकास ।

(6) खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग :

(क) ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग की अभिवृद्धि ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए जागरूकता शिविरों, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और उद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन करना ; और

(ग) लघु उद्योगों के विकास और खाद्य संस्करण इकाइयों के प्रचार के क्षेत्र में पारंपरिक कौशल का पता लगाना ।

(7) ग्रामीण आवासन :

(क) गृह-निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ; और

(ख) गृहों, स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित अभिलेख रखना ।

(8) पेय जल :

(क) पेय जल के कुओं, तालाबों और कुंडों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण ;

(ख) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण ; और

(ग) ग्रामीण जल प्रदाय स्कीमों का अनुरक्षण ।

(9) सड़कें, भवन, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन :

(क) ग्राम सड़कों, नालियों और पुलियाओं का सन्निर्माण और अनुरक्षण ;

(ख) इसके नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा इसे अंतरित भवनों का अनुरक्षण ; और

(ग) नावों, फेरियों और जलमार्गों का अनुरक्षण ।

(10) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्कीमों की अभिवृद्धि और विकास ;

(ख) सामुदायिक, अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों का, जिसके अंतर्गत बायो गैस संयंत्र है, अनुरक्षण ; और

(ग) विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार ।

(11) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ;

(क) पूर्ण नियोजन और उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता की अभिवृद्धि ;

(ख) ग्राम सभा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन ;

(ग) प्रभावी कार्यान्वयन और मानीटर करने में सहभागिता ।

(12) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय भी हैं :

(क) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता की अभिवृद्धि ; और

(ख) प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन और उपस्थिति तथा उसका प्रबंध सुनिश्चित करना ।

(13) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ़ साक्षरता की अभिवृद्धि ।

(14) पुस्तकालय ;

ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय ।

(15) सांस्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सांस्कृति क्रियाकलापों की अभिवृद्धि ।

(16) बाजार और मेले :

मेलों (जिनके अंतर्गत पशु मेले भी हैं) और उत्सवों का विनियमन ।

(17) ग्रामीण स्वच्छता :

(क) साधारण स्वच्छता बनाए रखना ;

(ख) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई ;

(ग) श्मशान और कब्रिस्तान का अनुरक्षण और विनियमन ;

(घ) सार्वजनिक शौचालयों का सन्निर्माण और अनुरक्षण ;

(ङ) धुलाई घाटों और स्नान घाटों का प्रबंध और नियंत्रण ।

(18) लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वियन ;

(ख) महामारियों का निवारण और उनके विरुद्ध उपचारी अध्युपाय ;

(ग) मांस, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य वस्तुओं के विक्रय का विनियमन ;

(घ) मानव और पशु टीकाकरण कार्यक्रमों में सहभागिता ;

(ङ) भोजन और मनोरंजन स्थापनों का विनियमन ;

(च) आवारा कुत्तों का नष्ट किया जाना ;

(छ) खाल और चमड़े का संसाधन, शोधन और रंगाई का विनियमन ; और

(ज) क्लेशकर और खतरनाक व्यापार का विनियमन ।

(19) महिला और बाल विकास :

(क) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सहभागिता ; और

(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों का उन्नयन ।

(20) समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप में मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है :

(क) सामाजिक कार्यक्रमों के, जिसके अंतर्गत विकलांग, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों और दीनहीन का कल्याण भी है, कार्यान्वियन में सहभागिता ; और

(ख) वृद्ध और विधवा पेंशन स्कीमों को मानीटर करना ।

(21) दुर्बल वर्गो का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ;

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के कल्याण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की अभिवृद्धि ; और

(ख) दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सहभागिता ।

(22) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

(क) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता की अभिवृद्धि ; और

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मानीटर करना ।

(23) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ;

(क) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ; और

(ख) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण ।

(24) धर्मशालाओं, छत्रों और उसी प्रकार की संस्थाओं का सन्निर्माण और अनुरक्षण ।

(25) पशु शेड, कांजी हाऊस और गाड़ी स्टैंड का सन्निर्माण और अनुरक्षण ।

(26) वधशाला का सन्निर्माण और अनुरक्षण ।

(27) सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदानों, आदि का अनुरक्षण ।

(28) सार्वजनिक स्थानों में खाद के गड्ढों का विनियमन ।

(29) शैंडीज की स्थापना और नियंत्रण, और

(30) सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक विकास ;

(क) लघु सिंचाई संकर्म और जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के सन्निर्माण और अनुरक्षण के लिए अध्युपायों की अभिवृद्धि ;

(ख) भू-जल संसाधनों का विकास ; और

(ग) सिंचाई जल के समय से और साम्यापूर्ण वितरण के लिए व्यवस्था करना ।

(31) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है :

(क) अविद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युत विस्तार की अभिवृद्धि ;

(ख) विद्युत के अवैध टैप करने के निवारण में सहायता ; और

(ग) विद्युत शोध्यों की वसूली और संग्रहण में सहायता ।

(32) ऐसे अन्य कृत्य, जो सौंपे जाए ।

36. कृत्यों का समनुदेशन—सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए :—

(क) किसी ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र में स्थित वन का प्रबंध और अनुरक्षण अंतरित कर सकेगी ;

(ख) ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र में स्थित सरकार की बंजर भूमि, चरागाह या खाली पड़ी भूमि सौंप सकेगी ;

(ग) ग्राम पंचायत को सरकार की ओर से भू-राजस्व का संग्रहण और ऐसे अभिलेखों का, जो उससे संबंधित हैं, अनुरक्षण सौंप सकेगी ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्य सौंप सकेगी, जो विहित किए जाएं :

परन्तु खंड (ग) के अधीन कोई कृत्य संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति के बिना नहीं सौंप, जाएगा :

परंतु यह और कि जब खंड (क) के अधीन किसी वन का प्रबंध और अनुरक्षण अंतरित किया जाता है, तब सरकार यह निदेश देगी कि ऐसे प्रबंध और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित रकम या ऐसे वन से आय का पर्याप्त अंश ग्राम पंचायत के अधिकाराधीन दे दिया जाए ।

37. ग्राम पंचायत की साधारण शक्तियां—ग्राम पंचायत को उसे सौंपे गए, समनुदेशित या प्रत्यायोजित कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करने की और विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी ।

38. स्थायी समितियां—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी :—

(i) कृषि उत्पादन, पशुपालन और ग्रामोद्योग तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कृत्य करने के लिए उत्पादन समिति :

(ii) सामाजिक न्याय समिति जो निम्नलिखित से संबंधित कृत्य करेगी—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की अभिवृद्धि ;

(ख) ऐसी जातियों और वर्गों का सामाजिक अन्याय और किसी प्रकार के शोषण से संरक्षण ; और

(ग) महिलाओं और बच्चों का कल्याण ;

(iii) शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, लोक संकर्म और ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों की बाबत कृत्य करने के लिए सुख-सुविधा समिति ।

(2) (क) प्रत्येक समिति में कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, प्रधान और उप-प्रधान भी हैं । प्रधान उत्पादन समिति और सुख-सुविधा समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा । प्रधान सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा :

परन्तु सामाजिक न्याय समिति में कम से कम एक महिला सदस्य और एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा ।

(ख) प्रत्येक समिति कृषक, क्लब, महिला, मंडल, युवक मंडल और सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसी प्रकार के अन्य निकायों के सदस्यों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सहयोजित करने के लिए सक्षम होगी । पंचायत क्षेत्रों में सहकारी सोसाइटियों का एक प्रतिनिधि उत्पादन समिति में सहयोजित किया जाएगा । सहयोजित सदस्यों के अधिकार और दायित्व वहीं होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) स्थायी समिति ऊपर निर्दिष्ट कृत्यों को उस सीमा तक करेगी जिस तक ग्राम पंचायत द्वारा उसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

39. संपत्ति और निधियां—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम पंचायत निधि गठित की जाएगी जो उस ग्राम पंचायत के नाम से होगी और उसके खाते में निम्नलिखित जमा होगा :—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए अभिदाय और दिए गए अनुदान, यदि कोई हों ;

(ख) जिला परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए अभिदाय और दिए गए अनुदान, यदि कोई हों ;

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण, यदि कोई हों ;

(घ) इसके द्वारा उद्गृहीत कर, रेट और फीस मद्दे सभी प्राप्तियां ;

(ङ) अन्य ग्राम पंचायत द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त अन्य सभी रकम ।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष ऐसी रकम अलग रख लेगी और उपयोजित करेगी जो निम्नलिखित को पूरा करने के लिए अपेक्षित हो :—

(क) अपने स्वयं के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सचिव को वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि और अधिवार्षिकी का संदाय भी है :

परंतु स्थापन पर कुल व्यय किसी वर्ष में ग्राम पंचायत के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा ;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी रकम खर्च करने की शक्ति होगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वियन के लिए उचित समझती है ;

(ग) ग्राम पंचायत निधि ग्राम पंचायत में निहित होगी और निधि में जमा का अतिशेष ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा, जो विहित की जाए ।

40. कराधान—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भूमि और भवनों पर कर अधिरोपित करेगी ।

(2) ऐसी अधिकतम दरों के अधीन रहते हुए, जो सरकार विहित करे, ग्राम पंचायत निम्नलिखित फीस और रेट उद्गृहीत कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) इसकी अधिकारिता के भीतर उपासना स्थलों या तीर्थस्थानों, बाजारों और मेलों में स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए फीस, जो सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विहित की जाए ;

(ख) प्रकाश रेट, जहां ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है ;

(ग) सफाई रेट, जहां ग्राम पंचायत द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर प्राइवेट शौचालयों, मूत्रालयों और हौदियों को साफ करने के लिए व्यवस्था की जाती है ।

41. ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता—इस धारा के उपबधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत, इस निमित्त विधि द्वारा, पुनर्विनियोग किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम की धारा 97 के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश के अनुसार राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान प्राप्त करने की हकदार होगी ।

42. ग्राम पंचायत का बजट—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्येक वर्ष के दौरान आगामी वर्ष के लिए अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों और संवितरणों का बजट तैयार करेगी और उक्त बजट को उस जिला परिषद् को प्रस्तुत करेगी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र पर अधिकारिता रखती है ।

(2) जिला परिषद्, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाए या तो बजट का अनुमोदन कर सकेगी अथवा बजट को ग्राम पंचायत को ऐसे उपांतरण के लिए वापस कर सकेगी जो वह निर्देश दे । ऐसे उपांतरण किए जाने पर बजट ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, अनुमोदन के लिए जिला परिषद् को पुन: प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) जब तक जिला परिषद् द्वारा बजट का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा । यदि जिला परिषद् इस प्रयोजन के लिए विहित समय के भीतर अपना अनुमोदन नहीं भेजती है तो यह मान लिया जाएगा कि बजट का जिला परिषद् द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है ।

43. लेखा—प्रत्येक ग्राम पंचायत के आय और व्यय का लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में रखा जाएगा जो, विहित की जाए ।

44. संपरीक्षा—(1) ग्राम पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, मणिपुर सरकार के स्थानीय निधि लेखा और लेखा संपरीक्षा निदेशक ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संपरीक्षा पूरी होने के एक मास के भीतर ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत उन त्रुटियों या अनियमितताओं को दूर करेगी, जो संपरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित है और जिला परिषद् को तीन मास के भीतर इस प्रकार दूर कर दिए जाने की सूचना भेजेगी या उक्त अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के संबंध में विहित प्राधिकारी को ऐसा अतिरिक्त स्पष्टीकरण दे सकेगी, जिसे प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा की जाती है ।

45. ग्राम पंचायत के कर्मचारिवृन्द—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा, जो विहित की जाए और वह अपना वेतन और भत्ता ग्राम पंचायत निधि से लेगा ।

(2) सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालय का भारसाधक होगा और वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उप विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) सरकार सचिव की भर्ती की पद्धति और सेवा के निबंधन और शर्तों जिनके अन्तर्गत वेतन और भत्ते, अधिवर्षिता, भविष्य-निधि और अधिवार्षिकी भी है, संबंधित नियम बनाएगी ।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अनुशासन और नियंत्रण के संबंध में सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सचिव सभी मामलों में ग्राम पंचायत के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

46. कर्मचारिवृन्द संबंधी पैटर्न और कर्मचारियों का प्रवर्ग—(1) सरकार, आदेश द्वारा, ग्राम पंचायत के कर्मचारिवृन्द संबंधी पैटर्न, वेतनमान और कर्मचारिवृन्द की भर्ती की पद्धति विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) ग्राम पंचायत उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, कर्मचारियों के प्रवर्ग का पदनाम और श्रेणी और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ग्राम पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन के लिए अपेक्षित सचिव से भिन्न अपने अन्य अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्तों का अवधारण करेगी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

47. कर्मचारियों की नियुक्ति और नियंत्रण—ग्राम पंचायत धारा 45 और धारा 46 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उनके वेतन का ग्राम पंचायत निधि से संदाय कर सकेगी :

परन्तु नियुक्तियां करते समय, अनुसूचित आतियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ें वर्गों के लिए उसी रीति से और उस सीमा तक पद आरक्षित किए जाएंगे जो राज्य सिविल सेवा के पदों की भर्ती के लिए लागू है ।

अध्याय 5

जिला परिषद्

48. जिला परिषद् की स्थापना—(1) राज्यपाल, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिले के लिए, जिस पर वह अधिकारिता रखता हो, एक जिला परिषद् की स्थापना करेगा, जो उस तारीख से प्रभावी होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् उसके जिले के नाम से निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जो ऐसे निबंधनों के अधीन होगी जो इस या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किए जाएं । उसमें अपने

निगमित नाम से वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाए जाने की, स्थावर या जंगम संपत्ति चाहे वह उस क्षेत्र की सीमाओं के बाहर हों या भीतर हों जिस पर उसका प्राधिकार हो, अर्जित करने, उसे धारण और अंतरण करने की, संविदाएं करने की और ऐसी सभी बातें करने की क्षमता निहित होगी जो उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए यह गठित की गई है, आवश्यक, उचित या समीचीन हो ।

49. जिला परिषद् की संरचना—जिला परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) धारा 50 के अधीन जिले में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य ;

(ख) लोक सभा के ऐसे सदस्य और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य, जो उस जिले के एक भाग का या संपूर्ण जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका निर्वाचन-क्षेत्र उस जिले में पड़ता है ; और

(ग) जिले में ग्राम पंचायतों के दस प्रतिशत प्रधान :

परन्तु जब खंड (ख) और (ग) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या खंड (क) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या से अधिक हो जाती तो खंड (ग) के अधीन केवल एक तिहाई सदस्यों का चयन इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा प्रधान जो इस खंड के अधीन एक वर्ष के लिए सदस्य रह चुका है, प्रधान के रूप में उसकी शेष पदावधि के दौरान दूसरी अवधि के लिए सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, चक्रानुक्रम से लोट द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा जैसा सरकार समय-समय पर और अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग विनिश्चित करे :

परन्तु यह और कि जिला परिषद् के सभी सदस्यों को, चाहे वे जिला परिषद् क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित हों अथवा नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सिवाय, जिला परिषद् के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा ।

50. निर्वाचित सदस्य—(1) सरकार, प्रत्येक 15000 की जनसंख्या पर एक सदस्य की दर से जिले या उसके भाग की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अवधारित कर सकेगी ।

(2) निर्वाचन के संचालन के लिए विहित प्राधिकारी, ऐसे नियमों के अनुसार, जो सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं,—

(क) जिला परिषद् के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित करेगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात, समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो, और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा ;

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की बाबत विहित रीति में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एक या अधिक सदस्य निर्वाचित करेगा ।

51. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना—यदि जिला परिषद् के किसी सदस्य का स्थान त्यागपत्र, मृत्य हटाए जाने के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो रिक्ति विहित रीति से निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :

परन्तु आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं कराया जाएगा यदि रिक्ति छह मास से कम अवधि के लिए है ।

52. आरक्षण—(1) प्रत्येक जिला परिषद् में,—

(क) अनुसूचित जातियों ;

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस जिला परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस जिला परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है । ऐसे स्थान किसी जिला परिषद् में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जा सकेंगे जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला परिषद् में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जा सकेंगे, जो विहित की जाए ।

53. जिला परिषद् की अवधि—(1) प्रत्येक जिला परिषद् अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी :

परन्तु ऐसी कोई जिला परिषद् जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व कार्य कर रही है, इसकी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी ।

(2) किसी जिला परिषद् का गठन करने के लिए निर्वाचन—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व ; और

(ख) उसके विघटन की दशा में, ऐसे विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व,

पूरा किया जाएगा :

परन्तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित जिला परिषद् बनी रहती, छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) किसी जिला परिषद् की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस जिला परिषद् के विघटन पर गठित की गई कोई जिला परिषद् उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित जिला परिषद् उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती ।

54. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन—(1) धारा 50 में निर्दिष्ट जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य यथासंभव शीघ्र अपने में से दो सदस्यों को क्रमश: उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और जब भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो, वे अपने में से किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे :

परन्तु यदि रिक्ति एक मास से कम अवधि की है तो कोई निर्वाचन नहीं कराया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार विहित रीति में,—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य में जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की उतनी संख्या आरक्षित रखेगी जिसका अनुपात राज्य में जिला परिषदों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ;

(ख) राज्य में प्रत्येक प्रवर्ग से, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं और वे जो अनारक्षित हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगी ।

55. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते—(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जिला परिषद् का प्रत्येक सदस्य ऐसी बैठक फीस और भत्ते प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, जो विहित किए, जाएं ।

56. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य—(1) अध्यक्ष—

(क) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अध्यक्ष पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और उस को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(ख) जिला परिषद् के अधिवेशन आयोजित करेगा और उसमें पीठासीन होगा तथा उनका संचालन करेगा ;

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर और उसके माध्यम से जिला परिषद् के सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर, तथा उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर, जिनकी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् के अधिकाराधीन रखी जाएं, प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो जिला परिषद् साधारण संकल्प द्वारा निदेशित करे या जो सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित करे ;

(ङ) जिला परिषद् के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन का संपूर्ण पर्यवेक्षण करेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्न जिला परिषद् के समक्ष रखेगा, जो उसे उसके आदेशों के लिए अपेक्षित प्रतीत हों और इस प्रयोजन के लिए जिला परिषद् के अभिलेख मंगा सकेगा ; और

(च) उसे उन व्यक्तियों को, जो जिले में प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा प्रभावित हुए हों, तत्काल राहत देने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष में कुल एक लाख रुपए तक की राशि की मंजूरी देने की शक्ति होगी :

परन्तु अध्यक्ष ऐसी मंजूरियों के ब्यौरे जिला परिषद् के आगामी अधिवेशन में उसके अनुसमर्थन के लिए रखेगा ।

(2) उपाध्यक्ष—

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला परिषद् के अधिवेशनों में पीठासीन होगा :

(ख) अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, लिखित आदेश द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे ; और

(ग) अध्यक्ष के निर्वाचन के लंबित रहने तक या जिले से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, या तीस दिन से अधिक की अवधि तक छुट्टी पर रहने के कारण, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

57. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र या हटाया जाना—(1) अध्यक्ष आयुक्त को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र विहित प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर तब तक प्रभावी होगा, जब तक वह इस पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा त्यागपत्र वापस नहीं ले लेता है ।

(3) प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिला परिषद् का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देगा ।

(4) प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा, यदि उसमें विश्वास की कमी प्रकट करने वाला संकल्प इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तुरंत अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा । ऐसे विशेष अधिवेशन के लिए अध्यपेक्षा जिला परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम एक बटा पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगी और वह अध्यक्ष को परिदत्त की जाएगी । अध्यक्ष ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर जिला परिषद् का विशेष अधिवेशन बुलाएगा । यह अधिवेशन इसकी सूचना के जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अपश्चात् किसी दिन आयोजित किया जाएगा । अध्यक्ष उक्त अधिवेशन में पीठासीन होगा, यदि प्रस्ताव उपाध्यक्ष के विरुद्ध है और अध्यक्ष के मामले में उपाध्यक्ष अधिवेशन में पीठासीन होगा, यदि यह दोनों के विरुद्ध है, तो ऐसे अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से नामनिर्देशित सदस्य अधिवेशन में पीठासीन होगा । यथास्थिति, जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में उनकी पदावधि के आरम्भिक दो वर्षों में उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ।

(5) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर हो जाता है, तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा दोनों के विरुद्ध कोई नया अविश्वास उस प्रस्ताव की ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जिला परिषद् के समक्ष नहीं लाया जाएगा ।

58. सदस्यों का त्यागपत्र—किसी जिला परिषद् का कोई सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपनी सदस्यता त्याग सकेगा और उक्त त्यागपत्र की तारीख से स्पष्ट पन्द्रह दिनों की समाप्ति पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर वह अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उक्त त्यागपत्र को वापस नहीं ले लेता है ।

59. जिला परिषद् का अधिवेशन—(1) प्रत्येक जिला परिषद्, प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार, संबंधित जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जो जिला परिषद् ठीक पूर्ववर्ती अधिवेशन में नियत करे, अधिवेशन आयोजित करेगा :

परन्तु किसी नई गठित जिला परिषद् का पहला अधिवेशन संबंधित जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे समय और ऐसे स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जो विहित प्राधिकारी नियत करे :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष से जब भी जिला परिषद् के एक बटा पांच सदस्यों द्वारा लिखित में कोई अधिवेशन बुलाने के लिए अपेक्षा की जाए, तो वह दस दिन के भीतर अधिवेशन बुलाएगा, जिसमें असफल रहने पर उपर्युक्त सदस्य विहित प्राधिकारी को सूचना देने और जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को सात स्पष्ट दिन की सूचना देने के पश्चात् अधिवेशन बुला सकेंगे ।

(2) जिला परिषद् के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्य जिला परिषद् के अधिवेशन में कारबार का संव्यवहार करने के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

(3) जिला परिषद् के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, परंतु मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य का निर्णायक मत होगा ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन में अध्यक्ष अथवा यदि वह अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष पीठासीन होगा और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं या यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है और कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अधिवेशन में पीठासीन होने के लिए निर्वाचित करेंगे ।

60. कार्यवृत्त—(1) उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों के, यदि कोई है, नामों को और जिला परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों को और यदि अधिवेशन में उपस्थित कोई सदस्य वांछा करे तो किसी संकल्प के लिए या उसके विरुद्ध क्रमश: मत देने वाले सदस्यों के नामों को इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई किसी पुस्तिका में कार्यवृत्त में रखा जाएगा और उन्हें पढ़ कर सुनाए जाने के पश्चात् और सहमत होने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उक्त अधिवेशन में पीठासीन व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और वह सभी उचित समयों पर जिला परिषद् के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी । कोई भी व्यक्ति, अधिवेशन के कार्यवृत्त की

प्रति का निरीक्षण कर सकेगा । कार्यवृत्त पुस्तिका हमेशा जिला परिषद् के कार्यालय में रखी जाएगी और जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी ।

(2) जिला परिषद् द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रति, अधिवेशन में इसके पारित होने की तारीख से दस दिन के भीतर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सरकार को भेजी जाएगी ।

61. जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियां—(1) जिला परिषद् को किसी विषय का कोई अंतरण समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा ।

(2) ऐसी शर्तों और अपवादों के अधीन रहते हुए जो सरकार समय-समय पर अधिरोपित करे, जिला परिषद् का यह कृत्य होगा कि वह जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करे और ऐसे विषयों की बाबत जिनमें नीचे उल्लिखित विषय भी हैं, ऐसी योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे, अर्थात् :—

1. कृषि और कृषि संबंधी विस्तार :

(i) कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने और समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को और समुन्नत कृषि पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के उपायों का संवर्धन ;

(ii) गोदामों की स्थापना और उनका रखरखाव ;

(iii) कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का संचालन करना ;

(iv) कृषकों का प्रशिक्षण ;

(v) भूमि विकास और भूमि संरक्षण ; और

(vi) कृषि-विस्तार संबंधी संकर्म का संवर्धन ।

2. सिंचाई भू-जल संसाधनों और जल विभाजक का विकास :

(i) लघु सिंचाई संकर्म और उत्थापक सिंचाई का सन्निर्माण, नवीकरण और रखरखाव

(ii) जिला परिषद् के नियंत्रणाधीन सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत जल का समयानुसार और साम्यापूर्ण वितरण और पूर्ण उपयोग के लिए व्यवस्था करना ;

(iii) भू-जल संसाधनों का विकास ;

(iv) सामुदायिक पंप सेटों का प्रतिस्थापन ; और

(v) जल विभाजक विकास कार्यक्रम ।

3. उद्यान कृषि :

(i) ग्रामीण पार्कों और उद्यानों का संवर्धन ;

(ii) फलों और सब्जियों की खेती का संवर्धन ; और

(iii) फार्मों का संवर्धन ।

4. सांख्यिकी :

(i) ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकीय और अन्य जानकारियों का प्रकाशन ;

(ii) ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित सांख्यिकी और अन्य जानकारियों का समन्वय और उपयोग ; और

(iii) ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को सौंपी गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कालिक पर्यवेक्षण और मूल्यांकन ।

5. आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

6. भूमि संरक्षण और भूमि सुधार :

(i) भूमि संरक्षण उपाय ;

(ii) भूमि उद्धार और भूमि विकास संकर्म ; और

(iii) भूमि सुधारों और भूमि चकबंदी के कार्यान्वयन की अभिवृद्धि ।

7. विपणन :

(i) विनियमित बाजारों और विपणन यार्डों का विकास ; और

(ii) कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और क्वालिटी नियंत्रण ।

8. सामाजिक वानिकी :

(i) वृक्षारोपण के लिए प्रचार का आयोजन ;

(ii) वृक्षारोपण और उनका रखरखाव ।

9. पशुपालन और डेरी उद्योग :

(i) गाय और सुअर की नस्ल का सुधार ;

(ii) कुक्कुट पालन ; बत्तख पालन और बकरी पालन फार्मों का संवर्धन ।

(iii) चारा विकास कार्यक्रमों का संवर्धन ;

(iv) डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन का संवर्धन ;

(v) महामारी और सांसर्गिक रोगों का निवारण ।

10. लघुवन उपज, ईंधन तथा चारा :

(i) सामाजिक और फार्म वनोद्योग, ईंधन रोपण और चारा विकास का संवर्धन ।

(ii) सामुदायिक भूमि में उगाए गए बनों की लघुवन उपज का प्रबंध ; और

(iii) बंजर भूमि का विकास ;

11. मत्स्य उद्योग :

(i) मत्स्य बीज उत्पादन और वितरण का संवर्धन ;

(ii) निजी और सामुदायिक तालाबों में मत्स्यपालन का विकास ;

(iii) अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग का विकास ;

(iv) मत्स्य संसाधन और शुष्कीकरण का संवर्धन ;

(v) परंपरागत रूप से मछली पकड़ने में सहायता ;

(vi) मछली विपणन सहकारी समितियों का आयोजन ; और

(vii) मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याणकारी स्कीमें ।

12. घरेलू उद्योग : (जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण भी है)

(i) परिक्षेत्र में परंपरागत कुशलता की पहचान और घरेलू उद्योगों की अभिवृद्धि ;

(ii) हस्त शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ;

(iii) घरेलू उद्योगों के लिए बैंक प्रत्यय प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करना ;

(iv) परिसाधित उत्पादों को लोकप्रिय बनाना और उनका विपणन ; और

(v) खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को संगठित करना ।

13. ग्रामीण सड़कें और अंतर्देशीय जलमार्ग :

(i) राष्ट्रीय, राज्य राजमार्गों और अन्य जिला सड़कों से भिन्न सड़कों का सन्निर्माण और रखरखाव ;

(ii) मद (i) के अंतर्गत आने वाली सड़कों के मार्ग में आने वाले पुल और पुलिया ;

(iii) जिला परिषद् के कार्यालय भवनों का सन्निर्माण और रखरखाव ;

(iv) बजारों, शैक्षिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाले बड़े संपर्क मार्गों की पहचान करना ; और

(v) नई सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमि का स्वैच्छया अभ्यर्पण आयोजित करना ।

14. स्वास्थ्य और स्वच्छता :

(i) प्रतिरक्षण और टीकाकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ;

(ii) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप ;

(iii) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवा क्रियाकलाप ;

(iv) परिवार कल्याण संबंधी क्रियाकलाप ;

(v) ग्राम पंचायतों के साथ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन ; और

(vi) पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय ।

15. ग्रामीण आवासन :

(i) गृहहीन कुटुम्बों की पहचान ;

(ii) जिले में गृह निर्माण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ; और

(iii) कम लागत के गृह निर्माण को लोकप्रिय बनाना ।

16. शिक्षा :

(i) शैक्षिक क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव भी है, का उन्नयन ;

(ii) प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना ;

(iii) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार ; और

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए विस्तारण कार्य ।

17. समाज कल्याण तथा दुर्बल वर्गों और विकलांग व्यक्तियों का कल्याण :

(i) विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों पर बल देते हुए समाज कल्याण के कार्यक्रमों और समाज कल्याण के क्रियाकलापों की अभिवृद्धि ;

(ii) निरक्षरता का उन्मूलन करने और सामान्य शिक्षा देने के लिए नर्सरी विद्यालयों, बालवाड़ियों, रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का आयोजन करना ; और

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियां संगठित करना ।

18. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

ऐसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का नियोजन, पर्यवेक्षण, मानीटर और कार्यान्वियन ।

19. पेय जल :

(i) पेय जल के कुओं, तालाबों और कुंडों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण ;

(ii) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण ।

20. ग्रामीण विद्युतीकरण :

(i) अविद्युतीकृत क्षेत्रों तक विद्युत विस्तारण की अभिवृद्धि ;

(ii) विद्युत के अवैध प्रयोग के निवारण में सहायता ; और

(iii) विद्युत देय की वसूली और संग्रहण में सहायता ।

21. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत :

(i) अपारंपरिक ऊर्जा स्कीमों का संवर्धन और विकास ; और

(ii) दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार ।

22. समाज सुधार क्रियाकलाप :

(i) महिला संगठनों और कल्याण की अभिवृद्धि ;

(ii) बाल संगठनों और कल्याण की अभिवृद्धि ;

(iii) सांस्कृतिक और आमोद-प्रमोद के क्रियाकलाप आयोजित करना ;

(iv) खेलों और क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण स्टेडियमों का सन्निर्माण ;

(v) निम्नलिखित के माध्यम से प्रत्यय और बचत का संवर्धन :—

(क) बचत करने की आदतों की अभिवृद्धि ;

(ख) अल्प बचत अभियान ;

(ग) अवैध सहकारी व्यवहारों और ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के विरुद्ध लड़ाई ।

(3) इनके अतिरिक्ति जिला परिषद् निम्नलिखित कर सकती है :—

(क) किसी लोकोपयोगी या इसमें निहित या इसके नियंत्रण और प्रबंध के अधीन किसी संस्थान के किसी कार्य का प्रबंध या अनुरक्षण ;

(ख) गांव की हाटों और बाजारो का अर्जन और अनुरक्षण ;

(ग) ग्राम पंचायतों को अनुदान देना ;

(घ) विपत्ति ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए उपाय अपनाना ;

(ङ) जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं और स्कीमों को समन्वित और समेकित करना ;

(च) जिले में ग्राम पंचायत के बजट प्राक्कलनों की जांच और उन्हें मंजूर करना ;

(छ) संपूर्ण जिले या उसके भाग तक विस्तारित की जाने वाली किसी स्कीम का जिम्मा लेना और उसे निष्पादित करना ; और

(ज) किसी प्राइवेट स्वामी या किसी अन्य प्राधिकरण से संबंधित किसी ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कुएं, जलसरणी या नालियों के रखरखाव और नियंत्रण को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर लेना, जैसी करार पाई जाएं ;

(4) दो या अधिक साथ लगे हुए जिलों की जिला परिषद् किसी विकास स्कीम को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी पारस्परिक रूप से करार पाई जाएं, संयुक्त रूप से प्रारंभ और निष्पादित कर सकती हैं :

परंतु सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो यह अधिरोपित करे, जिला परिषद् को अतिरिक्त कृत्य अंतरित कर सकती है ।

62. जिला परिषद् की साधारण शक्तियां—(1) सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद्,—

(क) अपनी अधिकारिता से बाहर शिक्षा या चिकित्सा-सहायता पर व्यय उपगत कर सकेगी ;

(ख) जिले के निवासियों की भलाई के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आराम, सुविधा या सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक अभिवृद्धि के लिए संभावित कोई कार्य करने या उपाय करने की व्यवस्था कर सकेगी ;

(ग) स्थानीय सरकार के संप्रवर्तन से संबंधित सभी अखिल भारतीय, राज्य या अन्तरराज्यीय स्तर के संगमों और ग्राम पंचायत और जिला परिषद् के क्रियाकलापों से संबंधित प्रदर्शनी, संगोष्ठी और सम्मेलन जिले के भीतर आयोजित करने के लिए अभिदाय कर सकेगी ; और

(घ) किसी व्यक्ति को जिले में कोई क्रियाकलाप, जो इसके किन्हीं कृत्यों से संबंधित हैं, करने के लिए वित्तीय या अन्य सहायता दे सकेगी ।

(2) जिला परिषद् को इसे सौंपे गए या प्रत्यायोजित किए गए कृत्यों को करने के लिए आवश्यक या उससे आनुषंगिक सभी कार्यों को करने और विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी ।

63. कृत्यों का समनुदेशन—(1) सरकार जिला परिषद् को ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए सरकार का कार्यपालक प्राधिकार विस्तारित होता है या ऐसे कृत्यों की बाबत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को समनुदेशित किए गए हैं, कृत्य समनुदेशित कर सकेगी ।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के अधीन समनुदेशित कार्यों को वापस ले सकेगी या उपांतरित कर सकेगी ।

64. शक्तियों का प्रत्यायोजन—जिला परिषद् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जिला परिषद् को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगी ।

65. स्थायी समितियां—(1) जिला परिषद् की निम्नलिखित स्थायी समितियां होंगी, अर्थात् :—

(क) साधारण स्थायी समिति ;

(ख) वित्त, लेखापरीक्षा और योजना समिति ;

(ग) सामाजिक न्याय समिति ;

(घ) शिक्षा और स्वास्थ्य समिति ;

(ङ) कृषि और उद्योग समिति ; और

(च) निर्माण समिति ।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति निर्वाचित सदस्यों में से जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति सहित कम से कम पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(3) अध्यक्ष, साधारण स्थायी समिति और वित्त, लेखापरीक्षा और योजना समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा । उपाध्यक्ष सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा । अन्य स्थायी समिति अपने सदस्यों में से सभापति को निर्वाचित करेगी ।

(4) जिला परिषद् का कोई भी सदस्य दो स्थायी समितियों से अधिक में सेवा करने का पात्र नहीं होगा ।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी साधारण स्थायी समिति और वित्त, लेखापरिक्षा और योजना समिति का पदेन सचिव होगा और वह शेष स्थायी समितियों में से प्रत्येक के लिए पदेन सचिव के रूप में किसी एक उप सचिव को नामनिर्दिष्ट करेगा । मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी स्थायी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने का हकदार होगा ।

66. स्थायी समितियों के कृत्य—(1) साधारण स्थायी समिति स्थापन विषयों में संबंधित कृत्य और संचार, भवनों, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तारण, प्राकृतिक विपत्तियों में राहत और सहबद्ध विषयों तथा शेष सभी अन्य विषयों से संबंधिन कृत्यों को करेगी ।

(2) वित्त, लेखापरीक्षा और योजना समिति, निम्नलिखित से संबंधित कृत्यों को करेगी :—

(क) जिला परिषद् की वित्त व्यवस्था, बजट तैयार करना; राजस्व में वृद्धि के प्रस्तावों की संवीक्षा करना, प्राप्ति और व्यय विवरणों की परीक्षा, जिला परिषद् की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करना और जिला परिषद् के राजस्व और व्यय का साधारण पर्यवेक्षण ;

(ख) योजना पूर्विकताएं, विकास के लिए पूंजी परिव्यय का आबंटन; अनुप्रस्थ और ऊर्ध्वस्थ संयोजन, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धातों का कार्यान्वयन, नियोजन कार्यक्रमों का नियमित पुनर्विलोकन, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और लघु बचत स्कीमों का मूल्यांकन ।

(3) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबंधित कृत्यों को करेगी :—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य रुचियों की अभिवृद्धि ;

(ख) उनका सामाजिक अन्याय और अन्य प्रकार के शोषणों से संरक्षण ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का सुधार ;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना ।

(4) शिक्षा और स्वास्थ्य समिति :—

(क) जिला परिषद् के सभी शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों की भारसाधक होगी ;

(ख) राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की रूपरेखा के भीतर जिले में शिक्षा की योजना का जिम्मा लेगी ;

(ग) जिला परिषद् के शैक्षिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करेगी ;

(घ) शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो जिला परिषद् इसे समनुदेशित करे ;

(ङ) स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, जल प्रदाय, परिवार कल्याण और अन्य संबंधित विषयों के कार्य करेगी ।

(5) कृषि और उद्योग समिति निम्नलिखित से संबंधित कृत्य करेगी :—

(क) कृषि उत्पादन, पशुपालन, सहकारिता, समुच्चय बांध और भूमि उद्धार ;

(ख) ग्रामीण और कुटीर उद्योग ; और

(ग) जिले के औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि ।

(6) निर्माण समिति, निम्नलिखित के रखरखाव से संबंधित कृत्य करेगी :—

(क) सड़क जिसके अंतर्गत जिला सड़कें भी हैं, पुल और पुलिया,

(ख) इसके नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा इसको अंतरित भवनों का रखरखाव ; और

(ग) नौकाओं, फेरी, जल मार्गों आदि का रखरखाव ।

(7) उपधारा (1) से उपधारा (6) में निर्दिष्ट स्थायी समितियां, ऊपर निर्दिष्ट कृत्य उस सीमा तक करेगी जितनी शक्तियां उन्हें जिला परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(8) स्थायी समितियां, उनको समनुदेशित विषयों की बाबत ऐसे अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करेंगी जो विहित किए जाएं ।

67. समितियों की प्रक्रिया—(1) जिला परिषद् समितियों के सदस्यों के निर्वाचन, उनमें कारबार के संचालन और समितियों से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विनियम बना सकेगी ।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति का सभापति उस समिति के कार्य की बाबत जिला परिषद् के अधिकारी से कोई सूचना, विवरणी, विवरण या रिपोर्ट मांगने और जिला परिषद् की किसी स्थावर संपत्ति में या समिति से संबंधित ऐसे संकर्म में, जो प्रगति पर हैं, प्रवेश करने और निरीक्षण करने का हकदार होगा ।

(3) प्रत्येक स्थायी समिति अपने अधिवेशनों में जिला परिषद् के किसी अधिकारी की, जो समिति के कार्य से संबंध रखता है, उपस्थिति की अपेक्षा करने की हकदार होगी । मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति के अनुदेशों के अधीन रहते हुए सूचनाएं जारी करेगा और उस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ।

68. संपत्ति के अर्जन धारण और व्ययन की शक्ति—(1) जिला परिषद् को संपत्ति का अर्जन, धारण करने और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी :

परन्तु स्थावर संपत्ति के अर्जन या व्ययन के सभी मामलों में जिला परिषद् सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी ।

(2) जिला परिषद् द्वारा अपनी निधि से सन्निर्मित सभी सड़कें, भवन या अन्य संकर्म उसमें निहित होंगे ।

(3) सरकार जिला परिषद् को उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कोई लोक संपत्ति आबंटित कर सकेगी और तत्पश्चात् ऐसी संपत्ति जिला परिषद् में निहित हो जाएगी ।

(4) जहां जिला परिषद् को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए भूमि की आवश्यकता है, वहां वह उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से बातचीत करेगी और यदि वह करार करने में असफल रहती है तो वह उपायुक्त भूमि के अर्जन के लिए आवेदन करेगी और उपायुक्त, जब उसका यह समाधान हो जाता है कि भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, तो वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन भूमि का अर्जन करने के लिए कदम उठाएगा और अर्जन पर ऐसी भूमि जिला परिषद् में निहित हो जाएगी ।

69. जिला परिषद् निधि—(1) प्रत्येक जिला परिषद् के लिए उस जिला परिषद् के नाम से जिला परिषद् निधि गठित की जाएगी और उसके खाते में निम्नलिखित जमा होंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए अभिदाय या अनुदान, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत राज्य में संगृहीत वह भू-राजस्व भी है ; जो सरकार अवधारित करे ;

(ख) ग्राम पंचायत या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए अभिदाय और अनुदान, यदि कोई हों ;

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त या अपनी आस्तियों की प्रतिभूति पर जिला परिषद् द्वारा लिया गया ऋण, यदि कोई हो ;

(घ) जिले में उद्गृहीत सड़क उपकर और लोक संकर्म उपकर के आगम ;

(ङ) जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत पथकर रेट और फीस मद्धे सभी प्राप्तियां ;

(च) जिला परिषद् में निहित, उसके द्वारा सन्निर्मित या उसके नियंत्रण और प्रबंध के अधीन रखे गए किसी विद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, भवन, संस्था या संकर्म की बाबत सभी प्राप्तियां ;

(छ) दान या अभिदाय के रूप में प्राप्त सभी रकमें और जिला परिषद् के पक्ष में किए गए किसी न्यास या विन्यास से सभी आय ;

(ज) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाई गई उपविधि के उपबंधों के अधीन अधिरोपित और वसूल किए गए सभी जुर्माने या शास्तियां जो विहित की जाएं ; और

(झ) जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी रकमें ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् अपने प्रशासन के खर्च को, जिसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और अधिवार्षिकी का संदाय भी है, पूरा करने के लिए वार्षिक रूप से ऐसी रकम, जो अपेक्षित हो, पृथक् करेगा और उपयोजित करेगा । स्थापन पर संपूर्ण व्यय कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् को इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी रकम, जो वह उचित समझे, खर्च करने की शक्ति होगी ।

(4) जिला परिषद् निधि, जिला परिषद् में निहित होगी और निधि के खाते में जमा रकम ऐसी अभिरक्षा में रखी जाएगी या ऐसी रीति में विनिहित की जाएगी जो राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे ।

70. कराधान—(1) ऐसी अधिकतम दर के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा विहित की जाए, जिला परिषद् :—

(क) उसके द्वारा कच्ची सड़क से भिन्न किसी सड़क पर या उसमें निहित या इसके प्रबंध के अधीन किसी पुल पर स्थापित किसी पथकर-रोध पर व्यक्तियों, यानों या पशुओं या उनके किसी वर्ग पर पथकर उद्गृहीत कर सकेगी ;

(ख) उसके द्वारा या उसके प्रबंध के अधीन स्थापित किसी फेरी की बाबत पथकर उद्गृहीत कर सकेगी ;

(ग) सड़क उपकर और लोक निर्माण उपकर उद्गृहीत कर सकेगी ;

(घ) निम्नलिखित फीस और रेट उद्गृहीत कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) नावों या यानों के रजिस्ट्रीकरण की फीस ;

(ii) इसकी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों या तीर्थस्थानों, हाट या मेलों में जो सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फीस ;

(iii) हाट या मेलों की अनुज्ञप्ति के लिए फीस ;

(iv) प्रकाश रेट, जहां जिला परिषद् द्वारा उसकी अधिकारिता की भीतर सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर प्रकाश के लिए व्यवस्था की जाती है ; और

(v) जल रेट, यहां जिला परिषद् द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर पीने, सिंचाई या किसी अन्य प्रयोजन के लिए पानी का प्रदाय किया जाता है ।

(2) जिला परिषद् किसी यान का रजिस्ट्रीकरण या उसके लिए फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी और अपनी अधिकारिता के भीतर उपासना स्थलों या तीथस्थानों, हाट और मेलों में स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगी या उसके लिए फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी यदि ऐसे यान का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है या स्वच्छता व्यवस्था के लिए किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इंतजाम किया जा चुका है ।

(3) पथकर, फीस या रेट का मान और उनके अधिरोपण के लिए निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विनियम द्वारा उपबंधित की जाएं । ऐसे विनियम में किसी वर्ग के मामले में सभी या किसी पथकर, फीस या रेट से छूट के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

71. जिला परिषद् का वित्तीय इंतजाम—(1) जिला परिषद् स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऋण लेने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऋण ले सकेगी और ऐसे ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए निक्षेप निधि सृजित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जिला परिषद् सरकार से या सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से विनिर्दिष्ट स्कीम के, जो उस प्रयोजन के लिए जिला परिषद् द्वारा बनाई जाए, आधार पर अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए धन उधार ले सकेगी ।

72. बजट—(1) प्रत्येक जिला परिषद्, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों और संवितरण का बजट तैयार करेगी और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(2) सरकार ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, या तो बजट का अनुमोदन कर सकेगी या उसे ऐसे उपातंरणों के लिए, जो वह निर्दिष्ट करे, जिला परिषद् को वापस कर सकेगी । ऐसे उपांतरण किए जाने पर, बजट ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार के अनुमोदन के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाएगा । यदि सरकार का अनुमादेन वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक जिला परिषद् को प्राप्त नहीं होता है तो बजट सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा ।

(3) कोई भी व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक बजट सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है ।

(4) जिला परिषद् प्रत्येक वर्ष में एक अनुपूरक प्राक्कलन तैयार कर सकेगी, जिसमें अपने बजट के किसी उपान्तरण के लिए उपबंध होगा, और उसे ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी ।

73. लेखा—जिला परिषद् ऐसी रीति में लेखे रखेगी, जो विहित की जाए ।

74. संपरीक्षा—(1) जिला परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए और संपरीक्षा टिप्पण की एक प्रति संपरीक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर जिला परिषद् को अग्रेषित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जिला परिषद् या तो किन्हीं ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को सुधारेगी, जो संपरीक्षा में इंगित की गई हैं और ऐसा करने की सूचना तीन मास के भीतर सरकार को भेजेगी या उक्त अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के संबंध में विहित प्राधिकारी को कोई और स्पष्टीकरण देगी, जिसकी उसके द्वारा दिए जाने की अपेक्षा की जाए ।

75. जिला परिषद् के कर्मचारिवृन्द—(1) उपायुक्त की पंक्ति का कोई अधिकारी जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं, जिला परिषद् के लिए एक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं, एक मुख्य लेखा अधिकारी और एक मुख्य योजना अधिकारी भी नियुक्त करेगी ।

(3) सरकार प्रत्येक जिला परिषद् में समय-समय पर राज्य सेवा के समूह क, ख और ग के उतने अधिकारी (जिनके अंतर्गत विद्यमान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से ऐसी सेवा के लिए नियुक्त कोई अधिकारी भी है) और सरकार के अधीन सेवा करने के लिए आबंटित अखिल भारतीय सेवा के उतने अधिकारी जितने सरकार आवश्यक समझे, तैनात करेगी ।

(4) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या किसी अन्य आधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को एक जिले से दूसरे जिले में इस प्रकार तैनात किए गए अधिकारियों और पदधारियों के स्थानान्तरण करने की शक्ति होगी ।

(5) सरकार, ऐसी तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्येक जिला परिषद् के लिए ऐसी सेवाएं गठित कर सकेगी, जो विहित की जाएं ।

76. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों के कृत्य—(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी—

(क) जिला परिषद् की नीतियों और निदेशों को कार्यान्वित करेगा और जिला परिषद् के सभी संकर्मों और विकास संबंधी स्कीमों के शीघ्रता से निष्पादन के लिए आवश्यक अध्युपाय करेगा ;

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(ग) जिला परिषद् के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के ऐसे नियमों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए जिला परिषद् के अधिकारियों और सेवकों पर नियंत्रण रखेगा ;

(घ) जिला परिषद् से संबंधित सभी कागज-पत्रों और दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा ; और

(ङ) जिला परिषद् निधि में से धन निकालेगा और उसका संवितरण करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित होगा और विचार-विमर्श में भाग ले सकेगा किन्तु उसे कोई संकल्प प्रस्तावित करने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा । यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में जिला परिषद् के समक्ष कोई प्रस्ताव इस अधिनियम, या किसी अन्य विधि या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में है या उससे असंगत है तो उसे जिला परिषद् के ध्यान में लाना उसका कर्त्तव्य होगा ।

(3) मुख्य लेखा अधिकारी वित्तीय नीति विषयक मामलों में जिला परिषद् को सलाह देगा और जिला परिषद् के लेखाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए, जिसके अंतर्गत लेखा और बजट तैयार करना भी है, उत्तरदायी होगा ।

(4) मुख्य लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उचित मंजूरी के अधीन और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार ही कोई व्यय उपगत हुआ है और किसी ऐसे व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम या नियमों और विनियमों द्वारा अधिदिष्ट नहीं है या जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

(5) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा ।

(6) मुख्य योजना अधिकारी योजना बनाने के विषय में जिला परिषद् को सलाह देगा और जिला परिषद् की योजना से संबंधित सभी विषयों के बारे में, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तथा जिले की वार्षिक योजना तैयार करना भी है, उत्तरदायी होगा ।

77. अभिलेखों की मांग करने और धन आदि की वसूली करने का अधिकार—(1) ग्राम पंचायत या जिला परिषद् से संबंधित धन, लेखाओं, अभिलेखों और अन्य संपत्ति का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित मांग पर तत्काल ऐसा धन या ऐसा लेखा, दस्तावेज या अन्य संपत्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी को या उसे प्राप्त करने के लिए मांग में प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द करेगा या उनको परिदत्त करेगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी धन की वसूली के लिए उसी रीति में और उन्हीं उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसे कि व्यक्तिक्रमियों से भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए सुसंगत भू-राजस्व अधिनियम में हैं, कार्रवाई भी कर सकेगा और ग्राम पंचायत या जिला परिषद् से संबंधित लेखाओं और अभिलेखों की मांग करने या किसी अन्य संपत्ति की वसूली के प्रयोजन के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगा तथा उसके बारे में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिपूर्वक प्रयोग की जा सकती है ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे यह जानकारी है कि किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् का कोई धन, लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति कहां छिपाई गई है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसकी जानकारी देने के लिए आबद्ध होगा ।

(4) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सरकार को होगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

78. समितियों के विनिश्चयों को पुनरीक्षित उपांतरित करने की शक्तियां—प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक जिला परिषद् को उसकी किसी समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय को पुनरीक्षित या उपांतरित करने की शक्ति होगी ।

79. ग्राम पंचायतों की उपविधि बनाने की शक्तियां—(1) ग्राम पंचायत, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जिला परिषद् की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपविधि बना सकेगी ।

(2) ग्राम पंचायत उपधारा (1) के अधीन कोई उपविधि बनाने में यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो विहित किया जाए, दण्डनीय होगा ।

(3) किसी ऐसी उपविधि में यह भी उपबन्ध हो सकेगा कि उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह, जहां तक उसकी शक्ति में है, ऐसे उल्लंघन द्वारा कारित रिष्टि का, यदि कोई हो, उपचार करे ।

(4) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी उपविधियां पूर्व प्रकाशन की शर्त की अधीन होंगी और ऐसा प्रकाशन उस रीति में होगा जो विहित की जाए ।

80. जिला परिषद् की विनियम बनाने की शक्तियां—(1) जिला परिषद् इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को, जहां तक वे उसकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे और ऐसा प्रकाशन ऐसी रीति में होगा जो विहित की जाए ।

81. सरकार की आदर्श विनियम और उपविधि बनाने की शक्तियां—(1) सरकार, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और प्ररूप के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एक मास से अन्यून क्रमश: जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श विनियम और उपविधि बना सकेगी ।

(2) ग्राम पंचायत या जिला परिषद् संकल्प द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाई गई यथास्थिति, आदर्श उपविधि या विनियम को अंगीकृत कर सकेगी और ऐसी उपविधि और विनियम ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की अधिकारिता के भीतर उस तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे, जो, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद् विहित रीति में प्रकाशित सूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

82.क्षेत्र में परिवर्तन की दशा में सरकार की ग्राम पंचायत और जिला परिषद् को विघटित और पुनर्गठित करने की शक्ति—(1) जब किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के क्षेत्र की परिसीमा में परिवर्तन हो गया है तब सरकार राजपत्र मे प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी पंचायत या परिषद् को उस तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, विघटित कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि संबंधित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् :—

(i) उस पंचायत क्षेत्र के लिए, जिसकी ग्राम पंचायत या उस जिले के लिए, जिसकी जिला परिषद् विघटित कर दी गई है, पुनर्गठित की जाए ;

(ii) ऐसे पंचायत क्षेत्र या जिला के लिए, जिनका दुबारा गठन किया गया है, स्थापित की जाए।

(2) उस ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के, जो उपधारा (1) के अधीन विघटित की गई है, सदस्य सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं और जहां तक साध्य हो ऐसे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के सदस्य हैं, जो उपधारा (1) के अधीन विघटित की गई है।

(4) ग्राम पंचायत या जिला परिषद् का अध्यक्ष इस अधिनियम में उपबंधित रीति में निर्वाचित किया जाएगा।

(5) इस प्रकार पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की अवधि छह मास से अनधिक इतनी अवधि की होगी जो सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करेगी।

(6) उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार गठित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की अवधि की समाप्ति से पूर्व ग्राम पंचायत या जिला परिषद् का गठन इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से किया जाएगा :

परन्तु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् बनी रही होती, छह मास से कम है, वहां यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसी अवधि के लिए ग्राम पंचायत या जिला परिषद् का गठन करने के लिए इस धारा के अधीन निर्वाचन कराया जाए।

(7) उपधारा (1) के अधीन गठित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् उस शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी जिस तक विघटित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् बनी रहती यदि उसका इस प्रकार विघटन न किया गया होता।

(8) जब किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् का विघटन कर दिया गया है और इस धारा के अधीन उसका पुनर्गठन या उसकी स्थापना की गई है तो ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की उतनी निधि और अन्य संपत्ति जो उस ग्राम पंचायत या जिला परिषद् में निहित है, जिसका विघटन हो गया है, इस धारा के अधीन पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् में निहित हो जाएगी और ऋण और बाध्यताओं का ऐसा प्रभाग इनको अंतरित हो जाएगा, जैसा सरकार लिखित रूप में निदेश दे।

(9) विघटित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के उस क्षेत्र के किसी भाग से जो इस प्रकार पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के प्राधिकार के अधीन है, उद्‌भूत होने वाली या उससे संबंधित सिविल और दांडिक कार्यवाहियों, संविदाओं, करारों और अन्य विषयों या बातों से संबंधित अधिकार और दायित्व ऐसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् में निहित हो जाएगे।

(10) उस ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा, जो विघटित कर दी गई है, उस क्षेत्र के किसी भाग की बाबत जो उस ग्राम पंचायत या जिला परिषद्, जो पुनर्गठित या स्थापित की गई है, के प्राधिकार के अधीन है, की गई या जारी की गई, अधिरोपित या अनुदत्त किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, कर, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, नियम, विनियम या प्ररूप के बारे में यह समझा जाएगा कि वे ऐसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा की गई, जारी की गई, अधिरोपित या अनुदत्त की गई है जब तक उसे ऐसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा की गई, जारी की गई, अधिरोपित या अनुदत्त किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, प्ररूप, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, नियम और विनियम द्वारा निलंबित नहीं किया जाता है।

83. कतिपय अन्य दशाओं में ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का विघटन—(1) यदि जिला परिषद् की राय में, कोई ग्राम पंचायत अपनी शक्तियों से आगे जाती है या उनका दुरुपयोग करती है या उनका पालन करने में सक्षम नहीं है या इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है तो जिला परिषद् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी ग्राम पंचायत को विघटित कर सकेगी।

(2) यदि सरकार की राय में, कोई जिला परिषद् अपनी शक्तियों से आगे जाती है या उनका दुरुपयोग करती है या उनका पालन करने में सक्षम नहीं है या इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में बार-बार व्यक्तिक्रम करती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी जिला परिषद् को विघटित कर सकेगी।

(3) जिला परिषद् या सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश प्रकाशित करने से पहले, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद् को ऐसे आधारों से संसूचित करेगी जिन पर वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, और संबंधित पंचायत को प्रस्ताव के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए एक युक्तियुक्त अवधि नियत करेगी और उसके स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(4) जब कोई ग्राम पंचायत या जिला परिषद् विघटित कर दी जाती है तब, ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के सभी सदस्य, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे।

(5) यदि कोई ग्राम पंचायत या जिला परिषद् विघटित कर दी जाती है तो :—

(क) ग्राम पंचायत और जिला परिषद् की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का इसके विघटन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग या अनुपालन किया जाएगा, जिन्हें यथास्थिति जिला परिषद् या सरकार, समय-समय पर इस निमित्त नियुक्त करे ।

(ख) ग्राम पंचायत या जिला परिषद् में निहित सभी संपत्ति विघटन की अवधि के दौरान यथास्थिति, जिला परिषद् या सरकार में निहित रहेगी ; और

(ग) विघटन पर पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।

84. सरकार द्वारा पंचायतों के कामकाज की जांच—(1) सरकार, किसी भी समय, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् से संबंधित विषयों के संबंध में या ऐसे किसी विषय की बाबत जिसके लिए, इस अधिनियम के अधीन सरकार की मंजूरी, अनुमोदन, सहमति या आदेश अपेक्षित है, अपने किसी अधिकारी से जांच करा सकेगी ।

(2) ऐसे जांच करने वाले अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की जांच के प्रयोजन के लिए साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्तियां होंगी ।

(3) सरकार उपधारा (1) के अधीन की गई जांचों के खर्च के बारे में और उन पक्षकारों के, जिनके द्वारा तथा उस निधि के बारे में जिसमें से उसका संदाय किया जाएगा, आदेश कर सकेगी, और ऐसे आदेश का आयुक्त के या उसमें नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे निष्पादन किया जाएगा मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री हो ।

85. विकास स्कीमों का निरीक्षण—(1) ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा किए गए किसी संकर्म या विकास स्कीमों के दक्षतापूर्ण और मितव्ययी निष्पादन के प्रयोजन के लिए सरकार का कोई अधिकारी या साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि वह ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के या उसके अधीन किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसे किसी संकर्म या विकास स्कीम के निष्पादन या अनुरक्षण का भारसाधक है, तकनीकी मार्गदर्शन या सहायता देना आवश्यक समझाता है तब वह अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे संकर्म या विकास स्कीमों का, ऐसा मार्गदर्शन, सहायता या सलाह देने के लिए जो वह संकर्म या विकास स्कीमों के संबंध में आवश्यक समझता है, कालिक निरीक्षण कर सकेगा और किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट ग्राम पंचायत या जिला परिषद् को अग्रेषित करेगा जिसमें पाई गई अनियमितताओं और सुधार के लिए सुझावों का उल्लेख होगा ।

(2) योजना या स्कीम के कार्यान्वियन में सरकारी विभागों में क्रय, निविदा, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी मंजूरी लेखा और संपरीक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए लागू नियम किसी पंचायत की दशा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

86. सरकार से निदेश—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार के लिए राज्य और राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित मामलों में ग्राम पंचायत या जिला परिषद् को निदेश देना विधिपूर्ण होगा और ऐसे निदेश ग्राम पंचायत या जिला परिषद् पर आबद्धकारी होंगे ।

(2) सरकार,—

(क) किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन कोई अभिलेख रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज मंगा सकेगी ;

(ख) किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् से विवरणी, योजना, प्राक्कलन, विवरण, लेखा या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ; और

(ग) किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् से ऐसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई सूचना या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

87. ग्राम पंचायत और जिला परिषद् की बाबत आयुक्त और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्राम पंचायत की बाबत निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) किसी ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों या ग्राम पंचायत के कब्जे में की या उसके नियंत्रण के अधीन किसी पुस्तक या दस्तावेज का कोई उद्धरण या कोई विवरणी या लेखा विवरण या रिपोर्ट मंगा सकेगा ;

(ख) किसी ग्राम पंचायत से किसी ऐसे आक्षेप पर, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऐसी किसी बात के किए जाने से विद्यमान है जो ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली है या की जा रही है या ऐसी किसी सूचना पर, जो उसे ऐसी प्रतीत होती है कि वह ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा कोई बात किया जाना आवश्यक बनाती है, ऐसे समय के भीतर जो वह नियत करे, विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी कर्तव्य को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने का आदेश दे सकेगा यदि ग्राम पंचायत ने किसी कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम किया है और यदि ऐसे कर्तव्य का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पालन नहीं किया जाता है तो किसी व्यक्ति को ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा और निदेश दे सकेगा कि उसके व्यय का संदाय व्यतिक्रमी ग्राम पंचायत द्वारा इतनी अवधि के भीतर जो वह नियत करे, किया जाएगा ;

(घ) किसी ग्राम पंचायत को कोई कर उद्‌गृहीत करने का निदेश दे सकेगा यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर उद्‌गृहीत करने में असफल रही है ;

(ङ) ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति का अधिवेशन बुला सकेगा यदि उस ग्राम पंचायत या उसकी समिति का इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई अधिवेशन नहीं हुआ है ।

(2) ग्राम पंचायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकेगी ।

(3) आयुक्त जिला परिषद् की बाबत निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) किसी जिला परिषद् की कार्यवाहियों या जिला परिषद् के कब्जे में की या उसके नियंत्रण के अधीन किसी पुस्तक या दस्तावेज का कोई उद्धरण या कोई विवरणी या लेखा विवरण या रिपोर्ट मंगा सकेगा ;

(ख) किसी जिला परिषद् से किसी ऐसे आक्षेप पर, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऐसी बात के किए जाने से विद्यमान है, जो ऐसे जिला परिषद् द्वारा की जाने वाली है या की जा रही है या ऐसी किसी सूचना पर, जो उसे ऐसी प्रतीत होती है कि वह ऐसी जिला परिषद् द्वारा कोई बात किया जाना आवश्यक बनाती है, ऐसे समय के भीतर जो वह नियत करे, विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी कर्तव्य को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने का आदेश दे सकेगा यदि जिला परिषद् ने किसी कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम किया है और यदि ऐसे कर्तव्य का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए नियत कर सकेगा और निदेश दे सकेगा कि उसके व्यय का संदाय व्यतिक्रमी जिला परिषद् द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जो वह नियत करे, किया जाएगा ;

(घ) जिला परिषद् या उसकी किसी समिति का अधिवेशन बुला सकेगा यदि उस जिला परिषद् या उसकी किसी समिति का इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई अधिवेशन नहीं हुआ है ।

(4) जिला परिषद् आयुक्त द्वारा उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगी ।

88. सरकार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के व्यतिक्रम करने पर कर्तव्यों के पालन की व्यवस्था करने की शक्ति—जब जिला परिषद् की दशा में सरकार को और ग्राम पंचायत की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किए गए परिवाद पर या अन्यथा सूचित किया जाता है कि किसी जिला परिषद् या ग्राम पंचायत ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है और यदि सम्यक् रूप से जांच करने के पश्चात्, यथास्थिति, सरकार या मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई जिला परिषद् या ग्राम पंचायत उक्त कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है तो, यथास्थिति, सरकार या मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए कोई अवधि नियत कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई अवधि तब तक नियत नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित जिला परिषद् या ग्राम पंचायत को यह कारण दर्शित करने का कोई अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं किया जाए ।

89. जिला परिषद् की ग्राम पंचायत के आदेशों आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति—(1) यदि जिला परिषद् की राय में, ग्राम पंचायत के किसी आदेश या संकल्प या ग्राम पंचायत के किसी प्राधिकारी या अधिकारी के किसी आदेश का निष्पादन या किसी ऐसी बात का किया जाना, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से किया जाना है या किया जा रहा है, अन्यायपूर्ण, विधिविरुद्ध, अनुचित है या उससे जनता को कोई हानि या क्षोभ कारित हो रहा है या कारित होने या शान्ति भंग होने की संभावना है तो वह किसी आदेश द्वारा उसके निष्पादन को निलंबित कर सकेगी या उसके किए जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) जब जिला परिषद् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करती है तो वह सरकार को और उससे प्रभावित ग्राम पंचायत को ऐसा करने के कारणों के विवरण के साथ आदेश की एक-एक प्रति तुरन्त अग्रेषित करेगी और यह सरकार का विवेकाधिकार होगा कि वह उस आदेश की पुष्टि करे या उसे विखंडित करे या यह निदेश दे कि वह उपांतरणों सहित या उनके बिना स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, प्रवर्तन में बना रहेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन किए गए जिला परिषद् के किसी भी आदेश को, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को उक्त आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पुष्ट, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा ।

90. सरकार की विधि विरुद्ध आदेश या संकल्प के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति—(1) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी से इस निमित्त किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा सरकार की यह राय है कि जिला परिषद् के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी ऐसी बात का किया जाना, जिसे जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से किया जाना है या किया जा रहा है ; अन्यायपूर्ण, विधिविरुद्ध या अनुचित है या जनता को कोई क्षति या क्षोभ कारित हो रहा है या कारित होने या शांति भंग होने की संभावना है तो वह किसी आदेश द्वारा उसके निष्पादन को निलंबित कर सकेगी या उसके किए जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) जब सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करती है तो वह, उससे प्रभावित जिला परिषद् को आदेश की एक प्रति ऐसा करने के कारणों के विवरण सहित तुरन्त अग्रेषित करेगी और सरकार आदेश की पुष्टि या उसे विखंडित कर सकेगी या निदेश दे सकेगी कि वह स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, उपांतरणों सहित या उनके बिना प्रवर्तन में बना रहेगा :

परन्तु सरकार द्वारा, संबंधित जिला परिषद् को उक्त आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा ।

91. सामान और उपस्कर का क्रय—(1) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी रीति, जिसमें जिला परिषद् तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपेक्षित सामान, उपस्कर, मशीनरी और अन्य वस्तुओं का क्रय किया जाएगा ;

(ख) ऐसी रीति, जिसमें ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा संकर्मों, संविदाओं और प्रदायों के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी और उसकी जांच की जाएगी, तथा उसे स्वीकार किया जाएगा ;

(ग) ऐसी रीति, जिसमें संकर्मों और विकास की स्कीमों का निष्पादन और निरीक्षण किया जाएगा तथा ऐसे संकर्मों और स्कीमों की बाबत संदाय किया जा सकेगा; और

(घ) इस उपधारा के प्रयोजन के लिए समिति का गठन ।

(2) निधियां निकालने, बिलों के प्ररूप, व्यय उपगत करने, लेखा रखने, हिसाब देने से संबंधित अन्य सभी विषयों तथा ऐसे अन्य विषयों की बाबत, उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, सरकार के विभागों को लागू होने वाले कार्यान्वयन नियम, ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की दशा में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

92. कतिपय दशाओं में प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति—(1) जब कभी,—

(क) किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन जिला परिषद् के किसी साधारण निर्वाचन या इसके फलस्वरूप किन्हीं कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई हो; या

(ख) जिला परिषद् के सभी सदस्य या उसके दो तिहाई सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया हो,

तो, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विहित की जाए, एक प्रशासक नियुक्त करेगी और वैसी ही अधिसूचना द्वारा ऐसी नियुक्ति की अवधि को कम कर सकेगी या बढ़ा सकेगी, तथापि यह कि ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन प्रशासक के नियुक्त होने पर, जिला परिषद् और उसकी समितियां तथा उस जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए भारसाधक है, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन या कृत्यों का पालन नहीं करेंगे और ऐसी नियुक्ति की अवधि के दौरान ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन प्रशासक द्वारा किया जाएगा ।

93. अवचार, आदि के लिए सदस्यों को हटाना—सरकार, यदि वह ठीक समझे, ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की सिफारिश पर या अन्यथा, किसी सदस्य को, यदि वह सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार या निकृष्ट आचरण का दोषी है या वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं रहा है, तो उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे, हटा सकेगी ।

94. पंचायतों से शक्तियों और कृत्यों को वापस लेने पर निर्बंधन—इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की बाबत, किसी शक्ति, कृत्यों और कर्तव्यों का किसी पंचायत को अंतरण होते हुए भी सरकार, उस निमित्त पंचायत से प्राप्त किसी प्रस्ताव पर या जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि विषय की प्रकृति में परिवर्तन के फलस्वरूप जैसे कि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में संपरिवर्तन या किसी बीज गुणन फार्म का कृषि अनुसंधान फार्म में संपरिवर्तन या किसी सड़क के राजमार्ग का भाग बन जाने के फलस्वरूप वह विषय सुसंगत पंचायत की कृत्य सूची का विषय नहीं रह जाता है और ऐसे विषय की बाबत पंचायत की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को वापस लेना आवश्यक हो जाता है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को वापस ले सकेगी और ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक आदेश कर सकेगी जिनका ऐसे विषयों, जिनके अन्तर्गत संपत्ति, अधिकार और दायित्वों का, जो पंचायत या कर्मचारिवृन्द, में निहित हों, यदि कोई हो, ग्रहण करना भी है और जो यथास्थिति पंचायत को अंतरित किए गए हों, के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक हो ।

95. विकास योजनाओं का तैयार किया जाना—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे ऐसी तारीख से पहले और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, जिला परिषद् को प्रस्तुत करेगी ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् प्रति वर्ष ग्राम पंचायत की विकास योजना को शामिल करने के पश्चात् जिले की विकास योजना तैयार करेगी और उसे इस अधिनियम की धारा 96 के अधीन गठित जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेगी ।

96. जिला योजना समिति—(1) सरकार, प्रत्येक जिले में जिला परिषद्, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन करेगी ।

(2) जिला योजना समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) लोक सभा के ऐसे सदस्य जो संपूर्ण जिले या उसके किसी भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(ख) राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन-क्षेत्र उस जिले के भीतर आते है ;

(ग) जिला परिषद् का अध्यक्ष ;

(घ) नगर निगम या नगरपालिका परिषद् के क्रमश: महापौर या अध्यक्ष, जिनकी जिले के मुख्यालय पर अधिकारिता है, और

(ङ) इतनी संख्या में व्यक्ति, जो समिति की कुल सदस्य संख्या के चार बटा पांच से अन्यून हों, और जो सरकार द्वारा विहित की जाएं, जो जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच के समानुपात में, जिले में जिला परिषद्, नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका परिषद् के पार्षदों में से विहित रीति में निर्वाचित हुए हों ।

(3) जिला सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का सचिव होगा ।

(5) जिले का उपायुक्त, जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा ।

(6) जिला योजना समिति, जिले में जिला परिषद्, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनओं को समेकित करेगी और संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करेगी ।

(7) प्रत्येक जिला योजना समिति प्रारूप विकास योजना तैयार करने में :—

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी—

(i) जिले में जिला परिषद्, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर निगम और नगरपालिका परिषद् के बीच सामान्य हित के विषय, जिसमें स्थान संबंधी नियोजन, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधन में हिस्सा बांटना, अवसंरचना का और पर्यावरण संबंधी संरक्षण का एकीकृत विकास भी सम्मिलित है ;

(ii) उपलब्ध संसाधनों की सीमा और किस्म, चाहे वित्तीय हो या अन्यथा ;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श, जिन्हें सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(8) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, उक्त समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार विकास योजना सरकार को अग्रेषित करेगी ।

97. पंचायतों के लिए वित्त आयोग—(1) राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो—

(क) (i) सरकार द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के शुद्ध आगमों, राज्य और जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के बीच जो उनके बीच विभाजित किए जाएं, वितरण को और जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन ;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों, और फीसों का अवधारण जो जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों को समनुदेशित की जाएं या उनके द्वारा विनियोजित की जाएं ;

(iii) राज्य की संचित निधि में से जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों की सहायता अनुदान शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में,

(ख) जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ;

(ग) जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ वित्तीय हित ; राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सरकार को सिफारिश करेगा ।

(2) वित्त आयोग में एक सदस्य होगा ।

(3) वित्त आयोग का सदस्य, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा :—

(क) जो लोक कार्यों में अनुभव रखते हैं ; या

(ख) जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं; या

(ग) जिनको सरकार के वित्त प्रबंध और लेखाओं का विशेष ज्ञान है ; या

(घ) जिन्हें वित्तीय विषयों में और प्रशासन का व्यापाक अनुभव रहा है ; या

(ङ) जिन्हें अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है ।

(4) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा ।

(5) वित्त आयोग का सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक राज्यपाल द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन सदस्य के त्यागपत्र से या किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति, नई नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त कोई सदस्य उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था, पद धारण करता ।

(7) आयोग को, अपने कृत्यों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई अभिलेख मंगाना ;

(ख) किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समन करना ; या

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां जो विहित की जाएं ।

(8) राज्यपाल, इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कारवाई के बारे में एक स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

98. राज्य निर्वाचन आयोग—(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य में पंचायत निकायों के लिए सभी निर्वाचनों के लिए नियंत्रक नामावलियां तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा ।

(2) आयोग एक राज्य निर्वाचन आयुक्त से बनेगा जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे :

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(4) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा, जितने इस अधिनियम के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं ।

99. जनगणना के पश्चात् निर्वाचित सदस्यों का अवधारण—प्रत्येक जनगणना के आकंडों के प्रकाशन पर किसी पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा उस जनगणना पर अभिनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जाएगी :

परन्तु उपरोक्तानुसार सदस्यों की संख्या का अवधारण, इस धारा के अधीन जनगणना के प्रकाशन के समय विद्यमान पंचायतों की तत्समय संरचना पर उसकी अवधि की समाप्ति तक प्रभाव नहीं डालेगा ।

100. ग्राम पंचायत और जिला परिषद् की सदस्यता निर्वाचन के लिए अर्हता—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम ग्राम पंचायत या जिला परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर मतदाताओं की सूची में है और जो ग्राम पंचायत या जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर साधारणतया निवासी है, जब तक उसे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न किया गया हो, ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा :

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की दशा में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से किसी का सदस्य नहीं है या स्त्री नहीं है, ऐसे स्थानों पर निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं होगा ।

101. सदस्यता के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली है ;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ;

(ग) यदि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाही में उसके विरुद्ध संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसे आदेश को तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है या अभिखंडित नहीं किया गया है ; या

(घ) यदि उसे किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा से पदच्युत कर दिया गया है ; या

(ङ) यदि वह विधि या चिकित्सा व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा नामावली से उसका नाम हटा दिया गया है या उसे निलंबित कर दिया जाता है तो ऐसे निलंबन के दौरान पश्चात्वर्ती मामले में निरर्हताएं प्रवृत्त रहेंगी ; या

(च) यदि उसे किसी स्थानीय प्राधिकरण की सदस्यता से हटा दिया गया है ; या

(छ) यदि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा घोषित ऐसे पदों से भिन्न जो धारक को निरर्हित नहीं करते है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के अधीन केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह ग्राम पंचायत का प्रधान या उप-प्रधान है अथवा जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है ;

(ज) यदि, इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, वह ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के आदेश द्वारा किए गए किसी कार्य में या ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के साथ, या उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित रखता है ; या

(झ) यदि वह ग्राम पंचायत या जिला परिषद् की ओर से संदत्त विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित है या ग्राम पंचायत अथवा जिला परिषद् के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता है ; या

(ञ) यदि इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के संबंध में किसी किस्म का कोई बकाया उसके द्वारा देय है :

परन्तु,—

(क) खंड (ख) में की निरर्हता, उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है ;

(ख) खंड (घ) या खंड (ङ) में की निरर्हता, उक्त दण्डादेश या पदच्युति या नामांकन रद्द कर दिए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या सरकार के आदेश द्वारा उससे पूर्व से प्रवर्तन में नहीं रहेगी ;

(ग) खंड (च) में की निरर्हता इस प्रकार हटाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहेगी ;

(घ) कोई व्यक्ति, निम्नलिखित कारणों से खंड (ज) के अधीन निरर्हता उपगत किया गया नहीं समझा जाएगा :—

(i) किसी संयुक्त स्टाक कंपनी में उसका कोई शेयर होने पर या मणिपुर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1989 (1990 का 1), के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगम में या किसी सहकारी सोसाइटी में कोई शेयर या हित होने पर, जो ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के द्वारा या उसकी ओर से संविदा करेगी या नियोजित की जाएगी ; या

(ii) ऐसे किसी समाचारपत्र में, जिसमें ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के कार्यों से संबंधित कोई विज्ञापन रखा जाता है, कोई शेयर या हित होने पर, या

(iii) कोई डिबेंचर धारण करने पर या ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिए गए किसी उधार से अन्यथा संबंध रखने पर ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य किसी स्तर पर उपधारा (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न निर्वाचन अधिकरण को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो पंचायत के सदस्य के रूप में चुना गया है, लोक सभा, राज्य सभा या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् का सदस्य है या सदस्य बन जाता है या नगर पार्षद या किसी नगर निगम का पार्षद या सफाई बोर्ड और अन्य पंचायत

का सदस्य है या सदस्य बन जाता है, तो लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य की या नगर पार्षद या किसी नगर निगम के पार्षद या अन्य पंचायत के सदस्य की पदावधि के आरम्भ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पंचायत में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने, यथास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् या नगर निगम या बोर्ड या ऐसी अन्य पंचायत से अपना स्थान पहले ही न त्याग दिया हो ।

102. किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् के संकल्प को विखंडित या निलंबित करने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार छह मास की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा किसी ग्राम पंचायत या जिला परिषद् द्वारा पारित किए गए किसी संकल्प को विखंडित कर सकेगी, यदि उसकी राय में उक्त संकल्प,—

(क) विधिक रूप से पारित नहीं किया गया है ; या

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा या इनके अधीन प्रदत्त शक्तियों से अधिक शक्तियों का प्रयोग करके या शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पारित किया गया है ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन ऐसी कोई कार्रवाई करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत या जिला परिषद् को, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर देगी ।

103. निर्वाचन अधिकरण का गठन—(1) सरकार, निम्नलिखित विषयों को ऐसी रीति में निपटाने के लिए, जो विहित की जाए, निर्वाचन अधिकरण का गठन करेगी, जिसमें एक सदस्य होगा जो उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) किसी पंचायत के निर्वाचनों को चुनौती देने वाली सभी निर्वाचन अर्जियां ;

(ii) पंचायत के सदस्य की निरर्हता से संबंधित विषय; और

(iii) कोई अन्य निर्वाचन विषय ।

(2) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो अधिसूचित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया निर्वाचन अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

104. वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट—(1) प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र और उस तारीख से अपश्चात्, जो सरकार द्वारा नियत की जाए, जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिला परिषद् के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे ब्यौरे सहित, जो सरकार निदेश करे, तैयार करेगा और उसे जिला परिषद् को प्रस्तुत करेगा । जिला परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार द्वारा जिला परिषद् के कार्यकरण के पुनर्विलोकन से संबंधित ज्ञापन के साथ राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

105. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 6 के अधीन ग्राम सभा के अधिवेशन बुलाने और आयोजित करने की प्रक्रिया ;

(ख) ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन की रीति और धारा 16 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन करने वाला सक्षम प्राधिकारी ;

(ग) धारा 13 की उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट निर्वाचक नामावलियों को प्रकाशित करने वाले प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल करने की रीति ;

(घ) धारा 19 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन-क्षेत्रों में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम ;

(ङ) धारा 21 के अधीन ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ;

(च) धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;

(छ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रधान और उप-प्रधान को मानदेय और अन्य भत्तों का संदाय ;

(ज) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (छ) और, उपधारा (2) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट प्रधान और उप-प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(झ) प्रधान और उप-प्रधान का त्यागपत्र प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

(ञ) अधिकारी, जिनको धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के अधिवेशन की सूचना भेजी जाएगी ;

(ट) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्थायी समिति द्वारा सदस्यों को सहयोजित करने की रीति;

(ठ) अभिरक्षा, जिसमें धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट ग्राम पंचायत निधि रखी जाएगी ;

(ड) धारा 42 के अधीन ग्राम पंचायत के बजट को तैयार करने और अनुमोदित करने की प्रक्रिया तथा धारा 43 और धारा 44 के अधीन लेखाओं के रखे जाने और उनकी संपरीक्षा की प्रक्रिया ;

(ढ) धारा 45 में यथानिर्दिष्ट सचिव की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें, वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ;

(ण) धारा 50 के अधीन जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की रीति ;

(त) धारा 51 में निर्दिष्ट जिला परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;

(थ) धारा 52 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन जिला परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम ;

(द) धारा 54 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्थानों के आरक्षण की रीति ;

(ध) धारा 55 के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते तथा बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों की फीस और अन्य भत्ते ;

(न) धारा 56 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(प) धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र प्राप्त करने तथा स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

(फ) धारा 66 की उपधारा (8) के अधीन समितियों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अतिरिक्त कर्तव्य ;

(ब) जिला परिषद् द्वारा उद्ग्रहीत किए जाने वाले करों की अधिकतम दर ;

(भ) धारा 72 के अधीन जिला परिषद् के लिए बजट तैयार करना और उसका अनुमोदन ;

(म) धारा 73 और धारा 74 में निर्दिष्ट जिला परिषद् के लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा ;

(य) धारा 75 के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य योजना अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(यक) धारा 76 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिला परिषद् के कार्यों का अधीक्षण और नियंत्रण ;

(यख) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपत किए जाने वाले जुर्माने की सीमा और उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन ग्राम पंचायत की उपविधियों के प्रकाशन की रीति ;

(यग) धारा 97 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति की रीति ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल बीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यह परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

106. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी :—

(क) भारत के संविधान के सुसंगत उपबंध के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित ऐसी किसी विधि की विधिमान्यता जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

(ख) किसी पंचायत के किसी निर्वाचन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

107. शपथ ग्रहण करना—जिला परिषद् का प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य, प्रधान या उप-प्रधान अपना पद ग्रहण करने से पहले यथास्थिति, जिला परिषद् या ग्राम पंचायत के अधिवेशन में भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की निम्नलिखित प्ररूप में शपथ ग्रहण करेगा या प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात् :—

मैं ....जो...का सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रधान/उप-प्रधान होने के नाते, ईश्वर की शपथ लेता हूं (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं) कि मै विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मै ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।

108. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1975 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) के निरसन के होते हुए भी निरसन की किसी बात से निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

(क) उक्त निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक्तः की गई या हुई कोई बात ; या

(ख) उक्त निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, उद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(ग) उक्त निरसित अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ; या

(घ) उपरोक्तनुसार ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां, या उपचार और ऐसे अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचारों को उसी प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड उसी प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो ।

109. कठिनाइयों को दूर करना—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा समय की अपेक्षानुसार कोई ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जिसे वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझती है ।

———